प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
आपराधिक अपीलीय अधिकारक्षेत्र
आपराधिक अपील संख्या 194-195/2012

पुरषोत्तम चोपड़ा एवं एक अन्य **...अपीलार्थी(गण)**

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) **...प्रत्यर्थी(गण)**

निर्णय

न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी,

प्रस्तावना

1. इन अपीलों के माध्यम से, अपीलकर्ताओं ने आपराधिक अपील संख्या 121/1999 और आपराधिक अपील संख्या 139/1999 में दिनाँक 23.05.2011 को दिए गए निर्णय और आदेश पर सवाल उठाया है जिसके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्र मुकदमा संख्या- 2/1998 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा 31.01.1999 में दिए गए फैसले और आदेश की पुष्टि की है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थियों की सज़ा को बरकरार रखा है|

2. तथ्यात्मक पहलुओं की एक संक्षिप्त रूपरेखा में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि मौजूदा मामले में, अपीलार्थियों पर एक शेर सिंह को उसे आग लगा कर मारने का आरोप है| इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नही था परंतु अभियोजन पक्ष ने दो बयानों पर भरोसा जताया है जो घटना के बाद मृतक द्वारा क्रमशः एक डॉक्टर और एक पुलिस अधिकारी को दिए गये थे: पहला जब वह 100% जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती हुआ था और दूसरा तब जब वह उपचाराधीन था| विचारण न्यायालय साथ ही साथ उच्च न्यायालय ने भी इन बयानों को उसका मृत्युकालिक कथन माना है, जिसमें अपीलार्थियों को हमलावरों के तौर पर नामित किया गया था| इसलिए, अनिवार्य रूप से पीड़ित के मृत्युकालिक कथनों के आधार पर अपीलार्थी दोषी ठहराए गए है| इन अपीलों में आसपास के कारको से सम्बन्धित अन्य सामग्री के अलावा इस तरह के मृत्युकालिक कथनों की विश्वसनीयता पर हमला किया गया है| इन अपीलों में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए मामले के प्रासंगिक तथ्यों और पृष्ठभूमि पहलुओं पर गौर किया जा सकता है|

<u>प्रासंगिक तथ्य और पृष्ठभूमि</u>

3. संक्षेप में कहें तो अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 18.12.1997 को शाम लगभग 3:00-3:15 बजे गोवर्धन पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली के पास स्थित प्लाट न. 17 से एक व्यक्ति के चीखने और धुंआ निकलते हुए देखा गया था, बहुत सारे लोग उस जगह पर इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने देखा कि एक आदमी जला हुआ था और उसके पूरे शरीर मे आग लगी हुई थी| जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने उस आदमी पर पानी फैंक कर आग बुझाने की कोशिश की| किसी अनजान व्यक्ति द्वारा 3:28 बजे की गई फ़ोन कॉल के जरिये इस घटना से सम्बन्थित जानकारी पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) में सिपाही अंजू (PW-7) को मिली, जिसने फॉर्म 1 में 467 नंबर पर प्रविष्टि दर्ज की और जानकारी पास के पुलिस थाने में भेज दी| पुलिस नियंत्रण कक्ष से संबंधित अधिकारी वारदात की जगह पर पहुंचे और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर सुषमा (PW-8) ने चिकित्सा-विधिक विवरण (EX. PW-8/A) तैयारी की| चिकित्सा-विधिक विवरण तैयार करते समय घायल व्यक्ति ने अपनी पहचान शेर सिंह बताई और अपना पता बताया और एक पुरषोत्तम और अन्य सुरेश (तेलवाला), दोनों ए-ब्लॉक, उत्तम नगर, दिल्ली के निवासी पर अपने हमलावर होने का

आरोप लगाते हुए उस घटना को बताया जिसके कारण उसकी वर्तमान हालत हुई थी|

4. इसके साथ, उप-निरीक्षक राजेश कुमार (PW-16) और सिपाही विजय प्रकाश (PW-13) घटनास्थल पर पहुँचे और इस बात से अवगत कराया गया कि घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचा दिया गया है| उप-निरीक्षक राजेश कुमार ने सिपाही विजय प्रकाश को घटनास्थल पर छोड़ा और यह पता लगाने के लिए कि घायल व्यक्ति को गहन देखभाल इकाई में भर्ती कराया गया है खुद अस्पताल पहुंचा| उप-निरीक्षक राजेश कुमार ने घायल व्यक्ति के लिए तैयार की गई चिकित्सा-विधिक विवरण प्राप्त किया और संबंधित चिकित्सक के समक्ष घायल व्यक्ति के बयान लेने के लिए एक आवेदन (EX. PW-16/A) दिया| जब चिकित्सक राजेश वर्मा (PW-17) ने यह प्रमाणित किया कि रोगी बयान देने की स्थिति में है, तो उप-निरीक्षक राजेश कुमार ने उसका बयान (EX. PW-16/B) दर्ज किया जहां घायल व्यक्ति- शेर सिंह- ने अपना नाम और पता बताया और फिर कहा कि उसने सुरेश (तेलवाला) जिसका एक तेल का डिपो था, से एक आधा बोतल शराब खरीदी और वो शराब पी| पुरषोत्तम का भी एक तेल का डिपो था और जब सुरेश ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसे जलाया, पुरषोत्तम वहां उपस्थित था|

5. इसके पश्चात्, विकास पूरी पुलिस थाने के थानाध्यक्ष और अतिरिक्त थानाध्यक्ष अस्पताल पहुंचे| घायल व्यक्ति का बयान दर्ज करने के बाद उप-निरीक्षक राजेश कुमार घटनास्थल पर वापिस आने के लिए अस्पताल से निकल गए और सिपाही विजय प्रकाश को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के साथ धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए भेजा लिहाज़ा प्रथम इत्तला रिपोर्ट संख्या 780/1997 पंजीकृत हुई| इस दौरान, उप-निरीक्षक राजेश कुमार ने घटनास्थल की तस्वीरें खिंचवाई, घटनास्थल का नक्शा तैयार किया, जले हुए कपड़े का एक टुकड़ा (सफेद रंग), शराब की एक आधी बोतल, सफेद रंग का एक डिब्बा, एक जल हुआ स्वेटर, एक माचिस की डिब्बी जब्त की जिसमें माचिस की कुछ तिल्लियाँ थी, सामान का जब्ती ज्ञापन बनाया और पुलिस थाना विकास पूरी में सभी सामान को जमा कर दिया|

6. घायल शेर सिंह के दिये गए बयान के आधार पर अपीलार्थी पुरषोत्तम और सुरेश को 18/19.12.1997 के मध्यरात्रि को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया था| 19.12.1997 को सुबह के समय शेर सिंह की मृत्यु की सूचना मिली जिसके परिणामस्वरूप, मुक़दमा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ धारा 34 में तब्दील हो गया और मुकदमे की तफ्तीश निरीक्षक ओम प्रकाश, अतिरिक्त थानाध्यक्ष, विकासपुरी पुलिस

थाना द्वारा ले ली गयी, जिन्होंने 19.12.1997 को मृतक शेर सिंह के शरीर को शव-निरीक्षण पर भेजने से पहले उस पर मरणान्वेषण प्रक्रिया की| डॉक्टर अरविंद (PW–14) ने शव-निरीक्षण किया और यह राय व्यक्त की कि मृत्यु का कारण ANTE-MORTEM आग लगने से 100% जलने के सदमे की वजह से हुई|

7. उसके बाद जाँच अधिकारी ने नक्शा (scaled) बनाया, जब्त किए गए सामान को केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के कार्यालय चंडीगढ़ भेजा और उसके बाद रिपोर्ट प्राप्त की और न्यायाधीश के समक्ष आरोप-पत्र दायर किया जिन्होंने मुकदमे को सत्र अदालत के सुपुर्द कर दिया|

<u>साक्ष्य</u>

8. सुपुर्दगी के बाद, मुकदमा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली की अदालत में सत्र मुकदमा संख्या 2/1998 के रूप में शुरू किया गया था| अभियोजन साक्ष्य में कुल 19 गवाहों की जांच की गई जिनके नाम है PW-1 राजू (मृतक का भाई) PW-2 पाली (मृतक का भाई) PW-3 सिपाही महेंद्र सिंह, PW-4 प्रधान सिपाही जगबीर सिंह, PW-5 महिला सिपाही राजेश, PW-6 राजेश (घटनास्थल के नज़दीक की दुकान का मालिक जो कथित तौर पर, घटनास्थल पर पहुंचा और पीड़ित को आग की लपटों में पाया) PW-7 महिला सिपाही अंजू (जिसने पुलिस नियंत्रण

कक्ष में फ़ोन पर जानकारी प्राप्त की थी और इस सम्बंध में प्रविष्टि की थी) PW-8 डॉक्टर सुषमा (जो सफदरजंग अस्पताल में प्लास्टिक एंड बर्न वार्ड में काम करती थी और जिसने पीड़ित के कथित संस्करण के अनुसार चिकित्सा-विधिक विवरण तैयार किया) PW-9 डॉक्टर H.K. शर्मा (जिन्होंने पीड़ित मृतक से संबंधित मृत्यु का सार/छुट्टी की पर्ची पर हस्ताक्षर किये थे) PW-10 प्रधान सिपाही वेद प्रकाश, PW-11 गुरदीप कुमार (छायाकार), PW-12 इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह (जिसने घटनास्थल का नक्शा (Scaled) बनाया), PW-13 सिपाही विजय प्रकाश (जो उप-निरीक्षक राजेश कुमार के साथ घटनास्थल पर पहुंचे), PW-14 डॉक्टर अरविंद (जिन्होंने पीड़ित के मृत शरीर पर शव-परीक्षण किया), PW-15 सिपाही जोगिंदर सिंह, PW-16 उप-निरीक्षक राजेश कुमार (जो घटनास्थल पर सिपाही विजय प्रकाश के साथ पहुंचा था और उसके बाद अस्पताल पहुंचे और पीड़ित का मृत्युकालिक कथन दर्ज किया), PW-17 डॉक्टर राजेश वर्मा(जिन्होंने पीड़ित को बयान देने के योग्य घोषित किया था), PW-18 हरीश राम (जिसने पीड़ित को पुलिस नियंत्रण कक्ष की गाड़ी में घटनास्थल से अस्पताल पहुँचाया) और PW-19 निरीक्षक ओम प्रकाश (जिसने उप-निरीक्षक राजेश कुमार से जांच का कार्यभार लिया था)|

9. ऊपर बताये गए गवाहों में से PW-3 सिपाही महेंदर सिंह, PW-4 प्रधान सिपाही जगबीर सिंह, PW-5 महिला सिपाही राजेश, PW-10 मुख्य सिपाही वेद प्रकाश, PW-11 गुरदीप कुमार, PW-12 निरीक्षक देवेंद्र सिंह और PW-15 सिपाही जोगिंदर सिंह जांच की प्रक्रिया से संबंधित औपचारिक गवाह थे| हालांकि, आग्रह किए गए तर्कों और शामिल मुद्दों के मद्देनजर, हमें अन्य गवाहों जैसे कि मृतक के भाईयों, वह व्यक्ति जो घटना को देखने पर कथित रूप से घटना स्थल पर पहुंचा, चिकित्सा अधिकारीगण और पुलिस कर्मचारियों की गवाही की मुख्य विशेषताओं पर ध्यान दे सकते है|

9.1 PW-1 राजू मृतक शेर सिंह का बड़ा भाई, ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रभाव तक साक्ष्यों पर ज़ोर दिया कि अपीलार्थी उसके भाई के ही मोहल्ले में रहते थे, अपीलार्थियों का अलग-अलग मिट्टी के तेल का डिपो थे, वे भारतीय जनता दल के कार्यकर्ता थे और शेर सिंह की हत्या से पहले उसके भाई और पुरषोत्तम के बीच झगड़ा हुआ था परंतु डर के कारण पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई थी| अपनी जिरह में, इस गवाह ने कहा कि उसे मृतक और पुरषोत्तम चोपड़ा के झगड़े के बारे में उसकी माँ से पता चला था|

9.2 PW-2 पाली, शेर सिंह का ही भाई, ने भी इस प्रभाव तक साक्ष्यों पर ज़ोर दिया कि वह शवगृह में अपने भाई के मृत शरीर की पहचान के लिए गया था| इस गवाह ने कहा कि मृतक उसके साथ एक ही परिसर में रहता था| उसे जानकारी नहीं थी कि मृतक शराब पीता था, परन्तु, उसने इस सुझाव से इनकार किया कि मृतक एक शराबी था|

9.3 PW-6 राजेश, सड़क के उस पार, जहां पर घटना घटी थी उसकी एक दुकान थी, ने अपनी मुख्य गवाही में यह गवाही दी कि चींख सुनने और धुंआ उठते हुए दिखने पर वह घटनास्थल पर पहुंचा, बाज़ार से अन्य लोग भी वहां पहुंच गए थे, उसने एक आदमी को आग में जलते हुए देखा, उन्होंने पास के नल से पीड़ित के जलते हुए शरीर पर पानी फेंका जिसने खुद की पहचान शेर सिंह की| बाज़ार से किसी ने 100 नंबर पर फ़ोन लगाया जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची|

9.3.1 अभियुक्त पुरषोत्तम की ओर से की गई जिरह में इस गवाह PW-6 राजेश ने गवाही दी कि प्लाट नंबर 17 तक पहुंचने के लिए किसी को भी गली से उसकी दुकान के सामने से गुजरना पड़ेगा और प्लाट नंबर 17 तक पहुचने के लिए न तो कोई अन्य रास्ता/गली थी ओर न ही अन्य कोई निकलने का रास्ता| इस गवाह ने आगे कहा कि चींखे सुनने पर, वो अपने पड़ोसियों दलजीत सिंह, रविंदर ऑटो के विक्की और एक

रिंकू के साथ घटनास्थल पर पहुंचा| यह कि उसने किसी व्यक्ति को घटनास्थल से भागते या घटनास्थल पर जाते हुए नही देखा| गवाह ने आगे बताया कि उन्होंने पीड़ित पर पानी फेंका, जिसने अपना नाम बताया और अपना पता भी दिया| गवाह ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा:

> "…. कुछ आम जनता ने पीड़ित से पूछताछ की कि किसने उसे आग लगाई| उसने उन्हें बताया कि चूंकि वह टेम्पो से गिर गया था, उसने खुद को ही आग लगा ली....."

इसके अतिरिक्त इस गवाह ने कुछ तथ्यों की जानकारी किसी दलजीत के पास होना बताया है और कहा कि दलजीत ने पीड़ित को उस जगह की तरफ पॉलिथीन में मिट्टी का तेल ले जाते हुए देखा था| गवाह ने अन्य बातों को इस प्रकार कहा:

> ".....दलजीत ने मुझे शाम को बताया कि उसने पीड़ित को पॉलिथीन में मिट्टी का तेल उस प्लाट की तरफ ले जाते हुए देखा था (विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने इस बात का विरोध किया) पुलिस ने मेरा, रिंकू और दलजीत का उसी शाम बयान दर्ज किया| पुलिस ने स्वेच्छा से 10-12 और लोगों के भी बयान दर्ज किए| दलजीत और रिंकू ने मेरे सामने पुलिस को यह बयान नही दिए थे|
>
> घटना के 2-3 दिनों के बाद, प्लाट नंबर 17 पर टीवी वाले आये और एक कैसेट तैयार किया| उन्होंने मुझसे और दलजीत सिंह से घटना के बारे में पूछताछ की| मेरा साक्षात्कार सिटी केबल ने लिया था| दलजीत का साक्षात्कार

सिटी केबल ने लिया था| दलजीत ने अपने साक्षात्कार में सिटी केबल को बताया कि उसने पीड़ित को उस जगह पॉलिथीन में मिट्टी का तेल ले जाते हुए देखा था| (विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने इस बात का विरोध किया)|"

9.3.2 आरोपी सुरेश की ओर से की गई जिरह में इस गवाह ने कहा कि वो उस वक़्त वहा मौजूद नही था जब शेर सिंह ने लोगों को बताया कि टेम्पो से गिर जाने के बाद उसने खुद को आगे लगा ली| इस जिरह में उनके बयान का प्रासंगिक हिस्सा निम्न रूप में पड़ा जा सकता है:

".....पीड़ित शेर सिंह ने मेरी मौजूदगी में जनता को नही बताया कि उसने खुद को आग लगा ली क्योंकि वह टैम्पो से गिर गया था| घटनास्थल पर 5 मिनट के अंदर 100-120 लोग इकट्ठा हो गए थे| पुलिस ने अगले दिन मेरी मौजूदगी में टोनी और उसी इलाके के किसी अन्य से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए| टोनी ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि पीड़ित बता रहा था कि उसने खुद को आग लगा ली क्योंकि वह टेम्पो से गिर गया था| (विरोध किया) टोनी ने मेरी मौजूदगी में पुलिस को बयान दिया था| ....."

9.4इस मामले में, सभी में से, चार चिकित्सा अधिकारियों की जांच की गई| PW-9 डॉक्टर एच.के.शर्मा सफदरजंग अस्पताल के बर्न वार्ड में काम करते थे जहां पर 18.12.1997 के पीड़ित को दाखिल कराया गया था और 19.12.1997 को प्रातःकाल उसकी मृत्यु को गयी थी| उन्होंने मृत्यु का सार/मृत्यु की पर्ची (EX PW-9/A) तैयार की| जिरह के दौरान इस गवाह द्वारा पीड़ित की गंभीर स्थिति और OPD (बाह्य रोगी विभाग)को तैयार करने के सम्बन्ध में दिये बयान में अपीलार्थियों की ओर से

दलीलों में उल्लेख किया गया है, इसलिए इस जिरह में इस गवाही पर ध्यान देना उचित होगा जो इस प्रकार है:

> "यह सही है कि मरीज की स्थिति उसके दाखिले के समय से ही गंभीर थी| यह सही है कि मरीज की हालत दाखिले के समय से ही बिगड़ती चली गई| यह सही है कि मरीज पूरे समय गहन देखभाल इकाई में भर्ती था| मृत्यु का सार EX. PW-9/A रोगी की फ़ाइल में अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया था| पहला दस्तावेज़ जो मरीज़ के दाख़िले के समय बनाया गया था बाह्य रोगी विभाग पर्ची थी| सूचनाकर्ता का नाम बाह्य रोगी विभाग की पर्ची पर लिखा हुआ था| मैंने सूचनाकर्ता को EX. PW-9/A में बाह्य रोगी विभाग वार्ड से 'पुलिस' उल्लेखित किया था|"

9.5 PW-14 डॉक्टर अरविन्द ने पीड़ित शेर सिंह के मृत शरीर पर शव-परीक्षण किया किया था| उनके द्वारा अभिलिखित बाह्य परीक्षण में निम्न प्रकार से अभिलिखित किया गया था:

> ".....जलने की चोंटे : (1) दाहिने ऊपरी हाथ के निचले हिस्से पर कटे हुए का घाव मौजूद था (2) DERMO-EPRDERMAI (?) सतही जले हुए गहरे घाव पूरे शरीर पर मौजूद थे| जले हुए भाग का कुल प्रतिशत लगभग 100% था| लालपन का क्षेत्र चार जगहों पर इस प्रकार मौजूद था (... sic ...) हाथों और छाती के अगले हिस्से पर| त्वचा का कालापन चेहरे और छाती के अग्र भाग पर मौजूद थी| त्वचा का उतरना (... sic ...) पर हाथों और पैरों के सामने मौजूद था| बाएं कंधे के अगले भाग पर गर्मी से त्वचा के अलग हो कर फटना मौजूद था... पैरों पर हिंसा के निशान, शरीर पर संघर्ष के निशान मौजूद नहीं थे| खोपड़ी के बालों में मिट्टी के तेल की बदबू मौजूद थी|"

9.6 PW-17 डॉक्टर राजेश वर्मा ने गवाही थी कि उन्होंने मरीज़ को बयान देने के लिए योग्य घोषित किया था और जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध

कराई गई अर्ज़ी EX. PW-16/A में चिन्ह 'X' पर उनके द्वारा ही हस्ताक्षर किए गए थे| अपनी जिरह में इस गवाह ने कहा कि दाखिले के बाद मरीज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी| वह लगातार चिकित्सीय निगरानी में था और आखिरकार वो सुबह 4:00 बजे मर गया| इस गवाह ने यह भी कहा कि मरीज़ गहन देखभाल इकाई (ICU) में लगातार चिकित्सा निगरानी में था परंतु इस सुझाव से इनकार किया कि पुलिस ने उनसे गवाही देने की लिए स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र नियमित तरीके से प्राप्त किया था|

9.7PW-8 डॉक्टर सुषमा, प्लास्टिक एंड बर्न वार्ड की एक सदस्य, ने घायल शेर सिंह को अस्पताल में दाखिल कराए जाने के बाद उसका उपचार किया था| उन्होंने अपनी मुख्य गवाही में यह गवाही दी कि शेर सिंह को शुरू में दग्घ आकस्मिक चिकित्सा (Burns Casuality) में लाया गया था| खुद शेर सिंह ने कथित इतिहास बताया कि उसे जलने की चोट लगी थी जब पुरषोत्तम और सुरेश (टेलवाला) ने उसे धमकी दी और फिर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल कर उसे आग लगा दी| पूछने पर उसने यह भी कहा कि मरीज़ सचेत और उन्मुख था, हालांकि उसकी सामान्य स्थिति बहुत नाजुक थी, क्योंकि उसके शरीर की पूरी सतह पर 100% गहरे जलने के निशान पाए गए थे| इस गवाह PW-8 डॉक्टर सुषमा

द्वारा अपने मुख्य गवाही में दी गई गवाही के प्रासंगिक आशय को आपेक्षित विवरणों में भी निम्न रूप से ध्यान दिया जा सकता है:

> “मुझे नही मालूम कि मरीज़ को पहले सफदरजंग अस्पताल की मुख्य आपातकालीन से लाया गया था| जले हुए मरीज़ों को सीधे बर्न्स वार्ड की आपातकालीन में लाया जाता है| पीड़ित शेर सिंह किसी रिश्तेदार/परिचारक के साथ नही था| पुलिस मरीज़ को आपातकालीन में ले कर आई थी|
>
> अगर मरीज की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु का सार बनाया जाता है| EX. PW-8/A पहला दस्तावेज है जो मेरे द्वारा बनाया गया है|

मुझे याद नही की जब मरीज को आपातकालीन में लाया गया था तो वह दर्द से रो रहा था| जैसे ही मरीज़ आपातकालीन में आता है, जूनियर रेजिडेंट द्वारा बाह्य रोगी विभाग पर्ची बनाई जाती है| बाह्य रोगी विभाग के कार्ड पर ही यह निर्णय होता है कि मरीज को दाखिल करना है या वापिस भेजना है| चिकित्सा विधिक विवरण बाह्य रोगी विभाग कार्ड बनाने के बाद ही बनाई जाती है| जब मैंने चिकित्सा विधिक विवरण EX. PW-8/A तैयार की तब बाह्य रोगी विभाग कार्ड मेरे समक्ष प्रस्तुत था| मैंने चिकित्सा विधिक विवरण में यह तथ्य अभिलेखित नही किया कि मरीज पुलिस द्वारा लाया गया था| यह तथ्य मुझे याद है| यह संभव है कि कुछ रिश्तेदार मरीज़ के साथ आये हो| बाह्य रोगी

विभाग कार्ड मरीज की फ़ाइल में रहता है| यह सुझाव गलत है कि मरीज ने कथित इतिहास नही बताया था और यह कि बाद में पुलिस के सुझाव पर मैंने यह चिकित्सा विधिक विवरण तैयार किया| MLC EX PW-8/A पर मरीज़ की पहचान के कोई निशान प्राप्त नही किये गए| मरीज का अंगूठे सहित पूरा शरीर जल चुका था|"

9.8 इस मामले से संबंधित पांच पुलिस कर्मचारियों के बयान को भी ध्यान देने की जरूरत है| PW-7 महिला सिपाही अंजू ने बयान दिया कि 18.12.1997 को टेलीफोन के द्वारा उन्हें सूचना मिली कि एक अनजान आदमी ने उत्तम नगर बस स्टैंड के पास खुद को आग लगा ली और उसके बाद, उसने इस सूचना के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष के फॉर्म में क्रम संख्या 467 में भर दिया| इस गवाह की गवाही असली अभिलेखों के अभाव में स्थगित कर दी गयी थी और उसकी आगे की गवाही पुलिस नियंत्रण कक्ष के मूल प्रपत्र के साथ की गयी और उसकी छायाप्रति अभिलेख में EX PW-7/B ले ली गयी थी|

9.9 PW-13 सिपाही विजय प्रकाश ने अपनी मुख्य गवाही में कहा कि प्रासंगिक समय पर वह विकासपुरी थाने में आपातकालीन सेवा पर था और उप-निरीक्षक राजेश कुमार के साथ यह सूचना प्राप्त करने पर कि एक घायल व्यक्ति दाल मिल रोड, गोवर्धन पार्क पर पड़ा है, घटना

स्थल पहुंचे| उक्त घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्हें सूचित किया गया कि घायल व्यक्ति को पहले ही पुलिस नियंत्रण कक्ष की गाड़ी द्वारा अस्पताल पहुंचा दिया गया था| इसके बाद, उप-निरीक्षक राजेश ने उसे घटनास्थल पर ही रहने का निर्देश दिया और अस्पताल के लिए चला गया| रात लगभग 9:50 बजे अस्पताल से उसकी वापसी पर उप-निरीक्षक राजेश ने उसे एक रुक्का पुलिस थाने में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने की लिए दिया जहाँ उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 780/97 पंजीकृत की और घटनास्थल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ पहुंचा और उसके बाद जांच अधिकारी को घटनास्थल से कुछ सामान जुटाने/जब्त करने में सहायता की जो बाद में एक लिफाफे में सील कर दी गयी थी| अपनी जिरह में इस गवाह ने निम्न प्रकार गवाही दी:

> “पुलिस थाने और घटनास्थल के बीच लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है| लगभग 15/20 आम लोग घटनास्थल पर हमारे पहुंचने से पहले ही मौजूद थे| निरीक्षक राजेश ने घटनास्थल पर पहुंचने पर किसी भी व्यक्ति की गवाही दर्ज़ नही की| रात को 9:50 बजे अस्पताल से वापिस घटनास्थल आने के बाद निरीक्षक राजेश ने मेरी मौजूदगी में किसी भी व्यक्ति का बयान दर्ज नही किया|..... जांच अधिकारी ने मामले से संबंधित सम्पति को जब्त करते समय किसी भी आम व्यक्ति को नही बुलाया था|.....”

9.10 PW-18 सहायक उप-निरीक्षक हरीश राम ने अपनी मुख्य गवाही में बताया कि 18.12.1997 को प्रासंगिक समय पर वह पश्चिमी जिले के पुलिस नियंत्रण कक्ष में तैनात था| जब उन्होने 3:30 बजे के आसपास वायरलेस संदेश प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति स्कूटर मार्किट, उत्तम नगर में जली हुई हालात में था और यह कि सूचना मिलने पर, वह तुरंत गाड़ी में घटनास्थल पर पहुंचे और प्लॉट नंबर 17, गोवर्धन पार्क में एक पुरुष व्यक्ति को जली हुई हालात में पाया; जहां 20-30 व्यक्ति इकट्ठे थे, उन्होंने जले हुए व्यक्ति को पुलिस नियंत्रण कक्ष की गाड़ी में रखा और उसे सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया| यह कि पीड़ित का नाम शेर सिंह पता चला; कोई भी आम व्यक्ति घटनास्थल से पुलिस नियंत्रण कक्ष की गाड़ी में साथ में नही आया था और यह कि मरीज सारे रास्ते दर्द से रो रहा था, उसने उनसे कोई बात नही की| अपनी प्रारंभिक जिरह में इस गवाह ने बताया कि उन्होंने जले हुए व्यक्ति से बात करने का कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि वह बात करने की स्थिति में नही था और मरीज का कोई भी रिश्तेदार उनसे अस्पताल में नही मिला| अपनी आगे की जिरह में गवाह ने यह तथ्य स्वीकार किया कि जो संदेश सबसे पहले मिला था वह किसी व्यक्ति द्वारा खुद को आग लगा लेने का था जिसके बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे| गवाह ने बताया कि उन्हें पीड़ित

को पुलिस नियंत्रण कक्ष की गाड़ी में डालने में 5-7 मिनट लगे लेकिन इस सुझाव से इनकार किया कि वहां पर मौजूद लोगो ने यह बताया कि मरीज ने खुद को आग लगा ली| गवाह ने कहा कि पीड़ित को अस्पताल में दाखिल कराते समय उसने पीड़ित का नाम शेर सिंह बताया था, जैसाकि वहा पर मौजूद व्यक्तियों से पता चला था और इस बात को दोहराया कि जब तक वह अस्पताल में मौजूद रहा तब तक पीड़ित बोलने की स्थिति में नही था और डॉक्टरों ने उसकी मौजूदगी में पीड़ित के पते के बारे में कोई पूछताछ नही की|

9.11 PW-16 उप-निरीक्षक राजेश कुमार ने अपनी मुख्य गवाही में बयान दिया कि उसको DD नंबर 21A की प्रति दिए जाने के बाद, वो सिपाही विजय प्रकाश के साथ तफ्तीश करने के लिए चला गया| उसके घटनास्थल पर पहुँचने पर, उसे सूचित किया गया कि घायल को पुलिस नियंत्रण कक्ष की गाड़ी में अस्पताल पहुंचा दिया गया, फिर वह सिपाही विजय प्रकाश को घटनास्थल पर छोड़ कर अस्पताल पहुँचा और यह पाया कि घायल को गहन देखभाल इकाई में दाखिल किया गया था और इस प्रकार अर्ज़ी EX PW-16/A के माध्यम से संबंधित डॉक्टर को घायल का बयान दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी गई थी| उसी दिन शाम के लगभग 7:50 बजे उसे सूचित किया गया कि मरीज बयान देने

की स्तिथी में है, इसके पश्चात उसने शब्द-प्रति-शब्द बयान EX PW-16/B दर्ज किया और शेर सिंह के उल्टे हाथ के अंगूठे का निशान भी प्राप्त किया| इस गवाह द्वारा यह भी कहा गया कि शेर सिंह का बयान दर्ज करने के बाद, वह जांच करने के लिए घटनास्थल वापिस गया और सिपाही विजय प्रकाश को प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के लिए रुक्का सौंप दिया| इसके बाद, घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया, घटनास्थल की फ़ोटो खींची गई और कुछ चीज़ों को जब्त और सील किया गया था| उसने आगे कहा कि उसने 18/19.12.1997 के बीच की रात को शेर सिंह द्वारा बताए गए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और इसके बाद यह जानकारी मिलने के बाद कि 19.12.1997 की सुबह शेर सिंह की मृत्यु हो गई है, जांच निरीक्षक ओम प्रकाश, अतिरिक्त थाना प्रभारी को सौंप दी गई थी|

9.11.1 अपनी जिरह में, इस गवाह ने बताया कि जब वह रात में अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए गया था और शेर सिंह द्वारा दिये गए बयान से उन्हें अवगत कराया तो अभियुक्त व्यक्तियों ने उक्त अपराध को अंजाम देने में अपनी किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया| उसने निम्न प्रकार से गवाही दी:

> “..... घटनास्थल पर पहुंचने पर मैंने DD संख्या 21A में दर्ज जानकारी कि एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली, के

बारे में कोई जांच नहीं की| जब तक जांच मेरे पास थी मैंने इस तथ्य की कोई जांच नहीं की|

*** *** ***

..... घटनास्थल पर अपनी लगभग 20-25 मिनट की मौजूदगी के दौरान मैंने वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ की| उस समय, कोई भी गवाह यह बताने के लिए आगे नही आया कि शेर सिंह को किसी ने आग लगा दी थी|"

9.11.2 PW-16 ने यह भी बताया कि शाम को लगभग 5:45 से 6:00 बजे घटनास्थल पर पहुंचने पर उसने चिकित्सा विधिक विवरण प्राप्त किया और यह पता चला कि शेर सिंह ने पुरषोत्तम और सुरेश को अपनी हालात का जिम्मेदार ठहराया था| उसने लगभग रात 8 बजे मरीज का बयान दर्ज करना शुरू किया और यह कि कोई अन्य डॉक्टर या नर्स बयान दर्ज करने के समय उनके साथ नही थे| हालांकि, PW-16 ने यह कहा कि उसने शेर सिंह के बयान दर्ज करने के लिए उप-खंड दण्डाधिकारी या महानगर दण्डाधिकारी को बुलाने के लिए कोई प्रयास नही किया| परन्तु, उसने स्वेच्छा से बताया कि उसने संबंधित डॉक्टर से राय मांगी थी कि अगर वह बयान दर्ज करने के लिए उप जिला न्यायाधीश या महानगर दंडाधिकारी को बुला सकता है पर डॉक्टर ने कहा कि घायल की हालत गंभीर हो गयी है| उसने यह भी कहा कि उस समय घायल शेर सिंह ने बात करना बंद कर दिया था|

9.11.3 विशेष रूप से, आरोपी सुरेश की ओर से की गई जिरह में PW-16 ने कहा कि शेर सिंह का पूरा शरीर, उसकी आंखें, नाक और मुँह के अलावा, पट्टियों में लिपटा हुआ था| उसने इस सुझाव से इनकार किया कि बयान पर मौजूद अंगूठे का निशान जाली है और यह कि मृत व्यक्ति इस स्थिति में नही था कि वह अपने दर्ज़ किये गए बयान पर अंगूठे के निशान लगाए| इस संबंध में उसकी गवाही का प्रासंगिक हिस्सा को उपयोगी रूप से निम्न प्रकार ध्यान में रखा जा सकता है:

> "मरीज रात को लगभग 7:45 से 8:00 बजे तक गहन देखभाल कक्ष से बाहर आया| जब मैंने मरीज का बयान दर्ज करने के लिए अर्ज़ी लगाई थी तो एक डॉक्टर और एक नर्स मरीज के पास मौजूद थे| मैंने डॉक्टर और नर्स से लिखित में कोई प्रार्थना नही की थी कि वह मरीज का मृत्युकालिक कथन दर्ज होने के समय वहा मौजूद रहे| (स्वेच्छा से- मैंने उनसे मौखिक प्रार्थना की थी)| ..... मैंने डॉक्टर और नर्स को जांच में भाग न लेने के परिणामो के बारे में नही बताया था (स्वेच्छा से- मुझें उस वक़्त इस बात की जानकारी नही थी कि मरीज मर जाएगा)| जब मरीज को गहन देखरेख कक्ष से बाहर लाया गया तो मैंने उसके पूरे शरीर को जले हुए देखा था|
>
> मरीज़ का पूरा शरीर सिवाए उसकी आंखें, नाक और मुँह के, पट्टियों से बंधा हुआ था| उसके कान भी पट्टियों से बंधे हुए नही थे| यह सुझाव गलत है कि मरीज शेर सिंह ने कोई मृत्युकालिक कथन नही दिया था और मैंने धोखाधड़ी और जालसाज़ी से मृत्युकालिक कथन Ex. 16/B को मृतक शेर सिंह का बनाया| यह सुझाव गलत होगा कि Ex. PW-16/B पर बिंदु A पर अंगूठे के निशान जाली तरीके से बाद में लगाया गया और मृतक अपने अंगूठे के निशान लगाने की स्थिति में नही था| यह सुझाव भी गलत है कि मृतक शेर सिंह की गहन देखभाल कक्ष में ही मृत्यु हो गयी थी और

उसे गहन देखनहाल कक्ष से बाहर आने के बाद ही मृत घोषित किया गया|"

9.11.4 PW-16 ने यह भी कहा कि उसने घटनास्थल से अन्य गवाहों की या आसपास के रिहायशी घरों से कोई गवाही न ली थी न ही उसने यह बात पता लगाने का प्रयास किया कि घटना के बारे में पुलिस को जानकारी देने के लिए किसने फ़ोन किया था|

9.12 PW-19 निरीक्षक ओम प्रकाश जो अतिरिक्त प्रभारी पुलिस थाना विकासपुरी था जिसने उप-निरीक्षक राजेश कुमार से 19.12.1997 को मामले की जांच अपने हाथ में ली थी| उसने मृतक के भाइयों की मौजूदगी में अन्वीक्षण रिपोर्ट बनाई थी और मृत शरीर को शव परीक्षण के लिए भेजा था और शव परीक्षण के बाद उसे उसके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया था| इस गवाह ने आगे बताया कि उसने घटनास्थल पर राजेश का बयान दर्ज किया और आगे पूछताछ की पर किसी व्यक्ति ने बयान नही दिए| इस गवाह ने अन्य बातों के साथ कहा कि 18.12.1997 को वो पीड़ित की गंभीर स्थिति के बारे में मालूम पड़ने पर विकासपुरी थाने के प्रभारी के साथ अस्पताल पहुंचा और उप-निरीक्षक राजेश कुमार उनसे मिले| उस वक़्त पीड़ित गहन देखभाल कक्ष के निकट वाले कमरे में लेटा हुआ था| गवाह ने आगे बताया कि जब संबंधित डॉक्टर को उप-निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा दर्ज़ किये गए घायल शेर

सिंह के बयान को सत्यापित/प्रमाणित करने के लिए कहा तो डॉक्टर ने बताया कि यह सभी तथ्य पहले से ही चिकित्सा विधिक विवरण में मौजूद है और उप-निरीक्षक राजेश कुमार के द्वारा दर्ज़ किए गए बयान को सत्यापित करने को कोई जरूरत नही है| जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि संबंधित DD प्रविष्टि में जो सूचना दर्ज़ की गई थी वह यह थी कि एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली| अपनी जिरह के अन्य भाग में इस गवाह ने यह सुझाव दिया कि जब वह पी पी मटियाला का प्रभारी था, अभियुक्त व्यक्तियों के साथ उसकी तीख़ी बहस हुई थी| और आगे फिर श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर तीखी बहस तब हुई जब वह पी पी पूर्वी उत्तम नगर का प्रभारी था| अभी तक यह सुझाव दिया गया था कि घटना से एक हफ्ते पहले उसकी अभियुक्त व्यक्तियों के साथ बहस हुई थी| निःसंदेह गवाहों ने ऐसे सुझावों से इनकार किया|

10. जैसाकि देखा गया है, दो दस्तावेज़ों की सामग्री अर्थात चिकित्सा विधिक विवरण की रिपोर्ट PW-8 डॉक्टर सुषमा द्वारा बनाई गई थी (Ex PW-8/A) और ये बयान PW-16 उप-निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा बनाई गई है (Ex PW-16/B) इस मामले के मूल के रूप में अभियोजन पक्ष ने शेर सिंह द्वारा दी गई आखिरी और अपनी मौत से कुछ घंटे

पहले दिए बयान पर भरोसा किया | इसलिए इन दस्तावेज़ों की सामग्री पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है|

10.1 चिकित्सीय विधिक विवरण Ex PW-8/A में, जिसे PW-8 डॉक्टर सुषमा द्वारा तैयार किया गया है, रोगी का विवरण शेर सिंह, पुत्र गणपत राम, उम्र 23 साल, पुरुष और पता एच-603, पंखा रोड, नई दिल्ली कहा गया था| यह बताते हुए कि जलने के समय लगभग दिन के 3:30 बजे थे और दाखिले का समय शाम 4:35 बजे था| उसमें यह भि कहा गया था कि मरीज खुद ही सूचनाकर्ता था| डॉक्टर ने देखा कि मरीज 'सचेत, उन्मुख' था और वह 'पूरे शरीर की सतह पर 100% गहरे जले की जलने की चोटो' से पीड़ित था| महत्वपूर्ण भाग पर डॉक्टर मरीज द्वारा दी गई जानकारी को निम्न शब्दों में बताता है:

> *"कथित रूप से जलने की चोटे लगी जब किसी पुरषोतम और सुरेश (तेलवाला) ने उसे धमकाया और फिर उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया और उसे आग लगा दी|"*

10.2 घायल शेर सिंह (Ex PW-16/B) की गवाही PW-16 उप-निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा हिंदी भाषा मे अस्पताल में दर्ज़ हुई कही जाती है| उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए लगभग सटीक अनुवाद को निम्न रूप में पढ़ा जाता है:

> "ब्यान अजाने शेर सिंह, पुत्र गनपत राम, पता ए-603, पंखा रोड, जे.जे. कॉलोनी, उत्तम नगर, दिल्ली, उम्र 23/24 साल|

बताया कि “मैं मेरी माँ के साथ रहता हूं और मैं वाहन संख्या DL-IL-0382 टाटा 407 पर, जिसका मालिक रघुनाथ है जो चड्डा होटल के विपरीत, जे.जे. कॉलोनी, उत्तम नगर में रहता है, हेल्पर के रूप में काम करता हूँ| इस वाहन के चालक नत्थू और राजू है| सुरेश जो हस्तसाल रोड पर तेल का डिपो चलाता है ने मुझे आधी बोतल शराब दी थी जिसे मैंने पिया| सुरेश और पुरषोत्तम जिनका जीवन पार्क पर तेल का डिपो है| सुरेश 795, जे जे कॉलोनी और पुरषोत्तम 686, जे जे कॉलोनी, पंखा रोड पर रहते है| सुरेश ने मुझ पर मिट्टी का तेल डाला और पुरषोत्तम उसके साथ था| इसके बाद सुरेश ने माचिस जला कर मुझे आग लगा दी|”

10.3 मौजूदा उद्देश्य के लिए अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ पुलिस नियंत्रण कक्ष फॉर्म (EX PW-7/B) है जहां भाग-1 में यह दर्ज़ है कि यह सूचना मिली थी कि ‘स्कूटर बाज़ार के पास, प्रेम नगर बस स्टैंड, दाल मिल रोड, उत्तम नगर एक आदमी ने खुद को आग लगा ली’| भाग -2 में यह जानकारी दर्ज़ थी कि पीड़ित 100% जलने के घाव से पीड़ित पाया गया था| उसे अस्पताल ले जाया गया था और ‘शेर सिंह पुत्र गनपत राम, उम्र 23/24 साल निवासी 603, पंखा रोड, उत्तम नगर’ के रूप में पहचान गया था| भाग-3 में यह दर्ज़ है कि मरीज अस्पताल में 100% जली हुई हालात में दाखिल किया गया था और वह कुछ भी नही कह रहा था| हालांकि, इस दस्तावेज के अंतिम भाग में, यह दर्ज़ किया गया था कि डॉक्टर को दिए गये मरीज के बयान के आधार पर, ‘सुरेश और पुरषोत्तम ने उसे धमकाया और फिर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया|’

11.दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनके बयानों में दोनों अपीलार्थियों ने अपराध- शेर सिंह को आग लगाने- में अपनी सहभागिता से इनकार किया|

11.1 अपीलार्थी पुरषोत्तम के बयान के प्रासंगिक हिस्से को निम्न प्रकार से पढ़ा जा सकता है:

> "सवाल 3- साक्ष्यों में आगे यह तुम्हारे खिलाफ़ है कि तुम भारतीय जनता दल के सक्रिय कार्यकर्ता हो| दो या तीन मौकों पर, इस घटना से पहले, तुम्हारे और मृतक शेर सिंह के बीच झगड़ा हुआ था| डर के कारण इस झगड़े की शिकायत पुलिस से नही की गई थी| तुम्हें क्या कहना है?
>
> उत्तर: यह सही है कि मैं भारतीय जनता दल का सक्रिय सदस्य हूँ| दूसरा भाग गलत है|
>
> सवाल 20- साक्ष्यों में यह आगे तुम्हारे खिलाफ़ है कि मरीज़ शेर सिंह (अब मृतक) ने अपने बयान में आगे PW-16 उप-निरीक्षक राजेश कुमार को बताया कि सह-आरोपी सुरेश ने उसे माचिस की तिल्ली से आग के हवाले कर दिया और तुम दोनों A ब्लॉक, उत्तम नगर में रहते हो| तुम्हें क्या कहना है?
>
> उत्तर: यह सही है कि मैं A ब्लॉक, उत्तम नगर में रहता हूं| बाकी से इनकार करता हूं|
>
> सवाल 43- क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो?
>
> उत्तर: यह कि राजनीतिक रूप से पहचाने जाने वाला व्यक्ति होने के कारण कुछ व्यक्तिओं द्वारा मेरे खिलाफ़ प्रतिकूल रुचि होने के कारण मुझे गलत तरीक़े से फंसाया गया है|"

11.2 अभियुक्त सुरेश ने भी यही कहा है कि उसे झूठे तरीके से इस मुकदमे में फंसाया गया है और यह कि उसके खिलाफ सारे सबूत झूठे है| उसने अपना वर्णन निम्न प्रकार दिया:

> "सवाल 42- क्या तुम्हें कुछ और कहना है?
>
> उत्तर: मैं निर्दोष हूँ| मैं "मेसर्स न्यू डिलक्स पेंट्स" के नाम और शैली के तहत हार्डवेयर की व्यवसाय करता हूं और किसी भी समय मेरे पास मिट्टी के तेल का डिपो नही था| पुलिस ने मुझे इस मुकदमे में झूठा फंसाया है और विकासपुरी पुलिस थाने की पुलिस ने मुझे मेरे घर से इस झूठे बहाने से उठाया था कि कुछ पूछताछ करनी है और मुझे यह आश्वासन दिया कि मुझे उसी दिन छोड़ देंगे| परन्तु, मुझे मेरे घर से जबरदस्ती उठाने के बाद पुलिस ने मुझे इस मुकदमें में शामिल किया| मैं मृतक को नही जानता|"

<u>विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी पाया</u>

12. विचारण के निर्णय के बाद और पक्षो को सुनने के बाद, विचारण-न्यायालय ने अपने 30.01.1999 के आक्षेपित निर्णय में इस मामले में शामिल प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ाया| विचारण न्यायालय ने यह पाया कि अपराध को अंजाम देने के कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नही है और यह कि पूरा अभियोजन का मुकदमा मृतक शेर सिंह द्वारा दिए गए दो मृत्युकालिक कथनों के बीच टिका हुआ था|

12.1 विचारण न्यायालय ने PW-8 डॉक्टर सुषमा द्वारा दिये गए साक्ष्य की वास्तविकता को स्वीकार किया कि पीड़ित शेर सिंह ने खुद ही

उन्हें अपनी चोंटों का कारण और वजह बताई थी| यह कि उसने पीड़ित को सचेत व उन्मुख पाया हालांकि उसकी सामान्य स्थिति नाजुक थी और यह कि उसके द्वारा बनाई गई चिकित्सा विधिक विवरण EX PW-8/A की सत्यता पर शक नहीं किया जा सकता था| विचारण न्यायालय ने इसके साथ-साथ यह देखा और निम्न प्रकार से कहा कि:

> “16. PW-8 डॉक्टर सुषमा की पूरी गवाही पर मेरी सुविचारित राय यह है कि उसने खुद के द्वारा बनाई गई चिकित्सा विधिक विवरण EX PW-8/A की सामग्री को पूरी तरह साबित किया है| PW-8 डॉक्टर सुषमा एक जिम्मेदार अधिकारी थी और उससे अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ साक्ष्य के महत्वपूर्ण भाग को गढ़ने की उम्मीद नही की जा सकती जिसके साथ कोई भी बुरी भावना या दुश्मनी अभिकथित नहीं की गई| PW-8 डॉक्टर सुषमा का पुलिस के इशारे पर मृत्युकालिक कथन को बनाने का कोई आरोप लगाने का कोई उद्देश्य नही है| मैंने चिकित्सा विधिक विवरण EX PW-8/A को अच्छे से देखा है जो PW-8 डॉक्टर सुषमा को लिखावट में है| उसमें बिंदु A पर उसके हस्ताक्षर भी है| डॉक्टर सुषमा द्वारा चिकित्सा-विधिक विवरण तैयार करना और उस समय मृतक की जांच करना को जिरह में चुनौती नही दी गई| विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता की इस बहस में कोई गुण नही कि चूंकि बाह्य रोगी विभाग कार्ड को गुणों के आधार पर प्रस्तुत नही किया गया था तो डॉक्टर सुषमा द्वारा तैयार की गई चिकित्सा-विधिक विवरण को नही माना जा सकता| बाह्य रोगी विभाग कार्ड की सामग्री के बारे में कुछ भी अभिलेख में मौजूद नही है| यदि चिकित्सा विधिक विवरण EX PW-8/A को गलत ठहराने के लिए बाह्य रोगी विभाग कार्ड इतना आवश्यक और प्रासंगिक था तो अभियुक्त व्यक्तियों को बाह्य रोगी विभाग कार्ड को मंगवाने में कोई बाधा नही थीं न ही PW-8/A डॉक्टर सुषमा की जिरह के समय| चूंकि बाह्य रोगी विभाग कार्ड मिसिल में नही है और उसमें

मौजूद सामग्री न्यायालय को ज्ञात नही है, अभियोजन के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नही निकाला जा सकता है और किसी भी तरह की कल्पना से PW-8 डॉक्टर सुषमा द्वारा तैयार की गई चिकित्सा विधिक विवरण की सत्यता पर संदेह नही किया जा सकता है| डॉक्टर सुषमा के पास खुद मृतक द्वारा दिये गए कथित इतिहास को गलत तरीके से दर्ज़ करने का कोई कारण नही था| अभिलेख में ऐसा कुछ भी नही आया है जो यह सिद्ध करें कि डॉक्टर सुषमा मृतक या उसके परिवार के किसी सदस्य को जानती थी जिससे वो उनका पक्ष ले| PW-9 डॉक्टर एच.के. शर्मा, PW-17 डॉक्टर राजेश वर्मा दोनो सफदरजंग अस्पताल से है, से अभियोजन पक्ष ने जिरह की| उनकी जिरहो में भी PW-8/A डॉक्टर सुषमा द्वारा बनाई गई चिकित्सा विधिक विवरण को चुनौती नही दी गयी| इसलिए मेरे विचार से, इसमें कोई संदेह नही कि EX PW-8/A चिकित्सा विधिक विवरण डॉक्टर सुषमा द्वारा बनाई गयी है और इसी के मद्देनजर यह किसी भी संदेह के परे अभिलेख पर साबित होती है|"

12.2 विचारण न्यायालय ने PW- 16 उप-निरीक्षक राजेश की गवाही भी स्वीकार कर ली और उसके द्वारा दर्ज़ की गई पीड़ित की गवाही को मृत्युकालिक घोषणा में निम्न रूप से दर्ज़ किया गया है:

"18. PW-16 उप-निरीक्षक राजेश कुमार की ऊपर कही गयी गवाही देखने से यह पता चलता है कि घायल की गवाही (बाद में मृत्युकालिक कथन के रूप में माना जाएगा) PW-16 उप-निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा दर्ज़ की गई थी| उप-निरीक्षक राजेश कुमार की अस्पताल में मौजूदगी को आरोपी व्यक्तियों द्वारा इनकार नही किया गया है| PW-13 सिपाही विजय प्रकाश ने अपनी गवाही में PW-16 उप-निरीक्षक राजेश के संस्करण को स्वीकारते हुए कहा कि DD की प्राप्ति पर वह उप-निरीक्षक राजेश के साथ शाम 3:15 बजे घटनास्थल पर पहुंचा और वहा उन्हें पता चला कि घायल को पुलिस नियंत्रण कक्ष की गाड़ी द्वारा पहले ही अस्पताल पहुंचा दिया गया है| निरीक्षक राजेश ने उसे

घटनास्थल पर छोड़ कर खुद अस्पताल के लिए चला गया| अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा PW-8 डॉक्टर सुषमा, PW- 9 डॉक्टर एच.के. शर्मा और PW-17 डॉक्टर राजेश को कोई सुझाव नही दिया गया था कि उप-निरीक्षक राजेश अस्पताल में मौजूद नही था या यह कि उसने घायल शेर सिंह का कोई भी बयान दर्ज नही किया था| PW-16 उप-निरीक्षक ने घायल शेर सिंह की गवाही दर्ज़ करने के लिए डॉक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई अर्ज़ी EX PW-16/A को अभिलेख पर सिद्ध किया है| PW-17 डॉक्टर राजेश वर्मा का अनुमोदन/पृष्ठांकन मरीज को रात 7:50 बजे गवाही के लिए EX PW-16/A पर भाग A में उपयुक्त घोषित करता है| PW-17 के तौर पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित डॉक्टर राजेश ने यह भी गवाही दी कि उसने जांच अधिकारी की अर्ज़ी EX PW-16/A पर मरीज को गवाही के लिए उपयुक्त घोषित किया था| अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा इस गवाह को जिरह में कोई सुझाव नही दिया गया था कि जांच अधिकारी द्वारा उस समय कोई ऐसा आवेदन नही दिया गया था| PW-17 डॉक्टर राजेश वर्मा जो एक डॉक्टर के तौर पर काम करते है के पास EX PW-16/A PW-16 उप-निरीक्षक राजेश की अस्पताल में रात में 7:50 बजे मौजूदगी स्पष्ट रूप से साबित करती है| एक बार जब उप-निरीक्षक राजेश को PW-17 डॉक्टर राजेश से रात 7:50 बजे शेर सिंह का बयान दर्ज करने के लिए अनुमति मिल गयी थी तो वह घायल का ब्यान (... sic ...)सही था और यह कहना अभियुक्त व्यक्तियों के चेहरे पर नही लिखा हुआ कि घायल शेर सिंह के बयान को जांच अधिकारी द्वारा बाद में गढ़ा/छेड़ा गया था| अभियुक्त व्यक्तियों के द्वारा PW-17 को जिरह में यह सुझाव नही दिया गया था कि EX PW-16/A पर उसके हस्ताक्षर के बाद भी जांच अधिकारी ने घायल शेर सिंह के बयान दर्ज़ नही किये थे.....

19. यह दिखाने के लिए कुछ भी अभिलेख पर मौजूद नही है कि मृतक का कोई रिश्तेदार उस समय वहा मौजूद था जब घायल शेर सिंह को अस्पताल लाया गया था या जब उसकी चिकित्सा विधिक विवरण EX PW-8/A तैयार की जा रही थी या जब PW-16 उप-निरीक्षक राजेश द्वारा गवाही EX PW-16/B दर्ज़ की गई थी| अभियोग पक्ष द्वारा

इस गवाह पर मृतक की गवाही को झूठे तरीके से जालसाज़ी से करने का कोई उद्देश्य नही थोपा गया है| गवाही EX PW-16/B दर्ज़ करते समय उप-निरीक्षक राजेश के दिमाग मे ऐसा कुछ नही था जो यह दर्शाये की घायल शेर सिंह की शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी| उप-निरीक्षक राजेश ने दोनों अभियुक्तो के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 में मुकदमा दर्ज कर दिया था| रात 9:55 बजे मौके से रुक्का भेजा गया| उसके बाद रात 10:20 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई थी| दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के नाम चिकित्सा विधिक विवरण EX PW-8/A और EX PW-16/B पर उल्लेखित था| उस समय तक घायल शेर सिंह की मृत्यु नही हुई थी| इस बात की कल्पना नही की जा सकती कि उप-निरीक्षक राजेश कुमार ने उस वक़्त उन दोनों अभियुक्त व्यक्तियों का नाम दिया और मुकदमा दर्ज किया| मुकदमा 18.12.1997 को पंजीकृत किया गया था| 19.12.1997 को विकासपुरी पुलिस थाने में घायल शेर सिंह की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी| अभियुक्त व्यक्तियों को सर्वसम्मति से मृतक की मृत्यु से पहले ही उनके सम्बंधित घरो से 18/19.12.1997 की मध्यरात्रि को गिरफ्तार किया गया था| ये सभी तथ्य स्पष्ट रूप से किसी भी धोखेबाज़ी या जालसाज़ी की संभावना को खारिज़ करते है|....."

12.3 विचरण न्यायालय ने भी इस स्थिति में कोई प्रतिकूल स्थिति नही पाई की शेर सिंह ने जब वह अस्पताल लाया जा रहा था तो PW-18 अतिरिक्त उप-निरीक्षक हरीश को कोई बयान दिया था| विचारण न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थियों की ओर से किये गए अन्य तर्कों को भी खारिज़ कर दिया और कहा कि भले ही पीड़ित 100% जलने की चोटों से पीड़ित था , उसके द्वारा दी गयी मृत्युकालिक कथन को इसलिए नही नकारा जा सकता क्योंकि यह दिखाने के लिए कुछ भी नही

था कि घायल शेर सिंह की मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वह कुछ भी बोल पाने ने सक्षम नही था| अन्य बातों के साथ (?) निम्न प्रकार से कहा:

> "25. ..... मेरी राय में है कि 100% जले से पीड़ित होने के बावजूद मानसिक रूप से मृत्युकालिक कथन देने के लिए योग्य था| इस संबंध में PW-17 डॉक्टर राजेश द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ने पूरे मुद्दे को पक्का कर दिया|
>
> 26. ..... इसके अलावा, केवल जांच अधिकारी की लापरवाही कि मृत्युकालिक कथन उप मंडल न्यायाधीश से अभिलिखित करना चाहिए, केवल इस अकेली वजह से मृत्युकालिक कथन EX PW-8/A और EX PW-16/B को अस्वीकार नही किया जा सकता| पुलिस के लिए यह हमेशा से अनिवार्य नही है कि मृत्युकालिक कथन उप मंडल न्यायाधीश या माननीय महानगर दंडाधिकारी से ही अभिलेखित करवायी जाये हालांकि इन अधिकारियों द्वारा अभिलेखित मृत्युकालिक कथन में (SIC) विश्वास ख़त्म हो जाता है|"

12.4 अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दी गयी एक मुख्य दलील यह थी कि PW-6 राजेश की गवाही के मुताबिक, पीड़ित ने इतने समय मे पहली बार इस आशय के साथ गवाही थी कि उसने खुद को ही आग लगा ली थी| विचारण न्यायालय ने PW-6 राजेश द्वारा उसके जिरह के दौरान दिये गए बयान के इस भाग को इस प्रकार में देखते हुए अस्वीकार किया कि:

> "29..... अदालत के समक्ष PW-6 की गवाही के कुछ पहलू कुछ विरोधाभासी है| मुख्य गवाही में गवाह ने मात्र इतना कहा कि पीड़ित ने अपना नाम शेर सिंह बताया| जिरह में

उसने आगे बताया कि पीड़ित ने अपना पता- ए-603, जे जे कॉलोनी, उत्तम नगर बताया| इस गवाह ने मुख्य गवाही में यह नही बताया कि पीड़ित ने कुछ आम लोगो को यह बताया था कि चूंकि वह टेम्पो से गिर गया था, उसने (शेर सिंह) खुद को आग लगा ली| दुबारा मुख्य गवाही में इस गवाह ने यह नही बताया कि दलजीत और रिंकू घटनास्थल पर मौजूद थे और दलजीत ने उसे शाम को बताया कि उसने पीड़ित को प्लास्टिक की थैली में प्लाट की तरफ मिट्टी का तेल ले जाते हुए देखा था| इसीतरह, इस गवाह ने घटना के 2/3 दिन बाद टीवी वालो के द्वारा कैसेट बनाने के बारे में नही बताया और उनको अपने साक्षात्कार में दलजीत सिंह के खुलासे के बारे में कि पीड़ित पॉलिथीन में मिट्टी का तेल डालकर उस प्लाट पर गया था| गवाह ने यह सभी तथ्य अभियोजन पक्ष को उसकी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज़ तथ्यों का सामना करने का एक अवसर देने के लिए मुख्य गवाही में नही बताये| इन सभी तथ्यों पर इस गवाह की गवाही आत्मविश्वास को प्रेरित नही करती और इसके पश्चात PW-8 और PW-16 द्वारा दर्ज़ किए गए मृत्युकालिक कथन को खारिज नही करती है| उपरोक्त चर्चा के मद्देनज़र, मेरा विचार है कि मृत्युकालिक कथन EX PW-8/A और EX PW-16/B यथावत मृतक शेर सिंह द्वारा बनाई गई थी और वह यथावत क्रमशः PW-8 डॉक्टर सुषमा और PW-16 उप-निरीक्षक राजेश विधिवत् दर्ज़ की गई थी|"

12.5 विचारण न्यायालय ने पाया कि दोनों मृत्युकालिक कथन आत्मविश्वास को प्रेरित करता है और इस भरोसे के लायक थे जबकि वह जल्द से जल्द दर्ज़ किये गए थे और यह कि पीड़ित का कोई भी रिश्तेदार उस समय वहा मौजूद नही थे| और यह कि सुझाव देने के लिए कुछ नही था कि अगर मृतक किसी कारण से प्रभावित था और असली

मुजरिमों को आरोप मुक्त से बचने के लिए झूठे तरीके से आरोपी व्यक्तियों का नाम दिया|

12.6 हालांकि विचारण न्यायालय ने यह पाया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों का मृतक शेर सिंह को आग लगाने का उद्देश्य साबित करने में नाकाम रहा लेकिन यह देखा कि सिर्फ उद्देश्य के सबूत की प्राप्ति के अभाव में, अभियोजन पक्ष के मुकदमे को खारिज़ नही किया जा सकता है और इस तरह से कहा:

> "42. हालांकि, अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के मृतक को आग लगाई के विशिष्ट उद्देश्य को साबित करने में असफल रहा है हालांकि यह अभियोजन पक्ष के मुकदमे के लिए घातक नही है| उप-निरीक्षक राजेश कुमार ने गवाही दी कि उसने मृतक से आरोपी व्यक्तियों के इरादे के बारे में पूछताछ के प्रयास किये लेकिन उस समय तक उसने बात करना बंद कर दिया था| हालांकि यह अभिलेख पर आया है कि मृतक अभियुक्त व्यक्तियों को पहले से ही जनता था| मृतक और अभियुक्त व्यक्ति एक ही मोहल्ले के निवासी थे| PW-1 राजू ने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले भी 2/3 अवसरों पर मृतक और अभियुक्त पुरषोत्तम के बीच झगड़ा हुआ था| उन्होंने डर के मारे पुलिस से झगड़े की कोई रिपोर्ट दर्ज नही कराई थी| अभियुक्त पुरषोत्तम के साथ पहले हुए झगड़ो के संबंध में गवाह की गवाही को विवादित नही किया गया है| अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मृतक के साथ झगड़े का कोई भी कारण नही सुझाया गया| अभियोजन पक्ष को पीड़ित की गैर हाज़िरी में उद्देश्य को साबित करना बहुत मुश्किल है| उद्देश्य हमेशा अभियुक्त के दिल मे कैद रहेगा और मृत्युकालिक कथन मे उनके खिलाफ स्पष्ट आरोपों के दृष्टिकोण से इस उद्देश्य को सकारात्मक रूप से साबित करने में अभियोजन पक्ष की विफलता महत्वहीन हो जाती है|....."

12.7 विचारण न्यायालय ने इस तर्क का भी उल्लेख किया कि अभियुक्त अपीलार्थी पुरषोत्तम को किसी भी प्रत्यक्ष कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था परंतु निम्न प्रकार से सोचते हुए यह कहा कि सिद्ध परिस्थितियों में वह दायित्व से बच नही सकता:

> "50. उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त पुरषोत्तम केवल इसलिए परिणाम से बच नही सकता क्योंकि मृतक शेर सिंह द्वारा अपने दूसरे मृत्युकालिक कथन EX PW-16/B में कोई प्रत्यक्ष कार्य का आरोपण नही किया गया था| दोनों मृत्युकालिक कथनों के मूल सार को एक साथ पढने पर, मेरी यह राय है कि मृतक ने दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के नाम की ओर इशारा उनके द्वारा किये गए अपराध के कारण किया है| वह अभियुक्त पुरषोत्तम था जिसने मृतक के साथ पहले झगड़ा किया था| इस तरह अभिलेख पर सिद्ध सभी परिस्थितिया अपराध के अंजाम में दोनों अभियुक्त व्यक्तियों की भागीदारी स्पष्ट रूप से साबित करता है|"

12.8 अंतिम विश्लेषण में, विचारण न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने मुक़दमे को संदेह से परे साबित किया है और इसलिए आरोपी-अपीलार्थीयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई|

<u>उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सज़ा की पुष्टि की</u>

13. सज़ा के आदेश पर हमला करते हुए, अभियुक्त व्यक्तियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग अपील- आपराधिक याचिका

संख्या 121/1999 और 139/1999 दायर की थी| उच्च न्यायालय ने सबूतों की फिर से सराहना की और विचारण न्यायालय के फैसले के साथ सहमति व्यक्त करते हुए कि मृतक शेर सिंह की डॉक्टर सुषमा (PW-8) को दी गयी गवाही और यह उसके द्वारा चिकित्सा-विधिक विवरण (EX PW-8/A) में दर्ज़ की गई; इसके साथ ही उसकी उप-निरीक्षक राजेश कुमार (PW-16) EX PW-16/B में दिया गया बयान जिसे मृत्युकालिक कथन माना जाता था, स्पष्ट रूप से अपीलार्थियों के खिलाफ कथित अपराध की स्थापना करते है|

13.1 उच्च न्यायालय ने विशेषकर इस तथ्य को संदर्भित किया कि पुलिस नियंत्रण कक्ष फॉर्म (EX PW-7/A) में PW-7 सिपाही अंजू द्वारा करी गयी प्रविष्टियां न केवल प्रारंभिक चरण में प्राप्त जानकारी के संबंध में, बल्कि इससे आगे, चोटों की प्रकृति के बारे में और पीड़ित के उसके नाम और पते के साथ उसके विवरण और यह तथ्य कि वह अस्पताल में भर्ती था| अभिलेख पर मौजूद सामग्री की समझ में उच्च न्यायालय ने पाया कि PW-18 अतिरिक्त उप-निरीक्षक हरीश के अपने इस दावे में सच्चाई नही थी कि पीड़ित ने उसे कुछ नही कहा क्योंकि बाद में पुलिस नियंत्रण कक्ष फॉर्म (EX PW-7/A) में की गयी प्रविष्टियाँ PW-7 सिपाही अंजू द्वारा नही की जा सकती थी, परंतु PW-18 अतिरिक्त

उप-निरीक्षक हरीश द्वारा उसको दी जाने वाली जानकारी के लिए जो बदले में, सिर्फ पीड़ित से ही यह सब विवरण एकत्र करने चाहिए थे| इसके साथ-साथ उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से देखा:

> "11. ..... साधारण व्यवहारिक ज्ञान वाले और तर्क को कोई बड़ी प्रक्रिया की आवश्यकता न रखने वाले एक व्यक्ति के लिए, यह स्पष्ट होगा कि अंजू ने शेर सिंह का नाम, आत्मज, उम्र, पता, शेर सिंह की 100% जली हुई हालत, उसे जलाने में मिट्टी के तेल का इस्तेमाल होने लिखा होगा और उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था सिर्फ अतिरिक्त उप-निरीक्षक हरीश के मुँह से सुना होगा जिसने न्यायिक प्रक्रिया की आंखों में देखने की हिम्मत की और झूठ बोल कार यह कहा था कि अस्पताल जाने के रास्ते मे मृतक के साथ उसकी कोई बात नही हुई थी|....."

13.2 उच्च न्यायालय ने आगे चिकित्सा विधिक विवरण EX PW-8/A में प्रदर्शित विवरण का विश्लेषण किया और पाया कि वह प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से PW-8 डॉक्टर सुषमा द्वारा उन जानकारियों पर बनाई गई थी जो पीड़ित ने खुद उन्हें बताई थी | उच्च न्यायालय ने कहा:

> "14. डॉक्टर सुषमा ने उसी समय यह दर्ज़ किया कि शेर सिंह ने उसे कहा कि पुरषोत्तम और सुरेश ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी| डॉक्टर सुषमा कैसे दो नामों- पुरषोत्तम और सुरेश को जानेगी जब तक उन्हें कोई ऐसा कहे न| स्पष्टतः वह शेर सिंह ही था जिसने उन्हें नाम बताए थे|"

13.3 उच्च न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन EX PW-16/B की सामग्रियों का भी उल्लेख किया और निम्नानुसार टिप्पणी की:

> “21. यह कि मृत्युकालिक कथन EX PW-16/B में न सिर्फ नाम थे बल्कि, अभियुक्त के व्यवसाय और यह तक कि उनके घर का पता भी दिया हुआ था बल्कि घातक सुस्पष्टता के साथ मृत्युकालिक कथन की सत्यता को भी आश्वासन देता है ताकि यह दर्ज़ की जा सके और यह मृत्युकालिक कथन शेर सिंह के बयान देने के लिए स्वस्थ होने का प्रमाण है, भले ही गंभीर चिकित्सा स्थिति में किसी व्यक्ति के होने के कारण उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो लेकिन वह मानसिक रूप से पूरी तरह सचेत हो सकता है|”

13.4 PW-8 डॉक्टर सुषमा और PW-16 उप-निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा दर्ज़ किये गए मृत्युकालिक कथनों की विश्वसनीयता के संबंध में अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह को खारिज़ करने के बाद, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मुकदमें को स्वीकार करते हुए निम्न प्रकार कहा:

> “30. स्थापित कानूनी व्यवस्था वह है कि एक मृत्युकालिक कथन जो विश्वास को प्रेरित करता है उसे खुद को बनाये रखने के लिए कोई पुष्टि नही चाहिए और मौजूदा मुकदमे में हम यह पहले ही चर्चा कर चुके है कि शेर सिंह द्वारा दी गयी दो मृत्युकालिक कथनों में सोने की चमक लाने के लिए पर्याप्त सबूत है और हमे यह ताम्बे के नही लगते और यह कि इस में सत्यता का वास्तविक साक्ष्य है कि कैसे डॉक्टर सुषमा और उप-निरीक्षक राजेश कुमार मृतक का नाम, आत्मज, उम्र और पता लिख सकते है जब तक कि मृतक ने उनसे ऐसा न कहा हो| कैसे उप-निरीक्षक राजेश कुमार ने अभियुक्तो के नाम, उनका व्यवसाय और उनके घर का पता लिख सकते है जब तक कि मृतक ने उन्हें ऐसा न कहा हो| यह बताये गए संकेत बिंदु है जो शेर सिंह द्वारा दी गयी दो मृत्युकालिक कथनों की सत्यता की दिशा में अग्रसर है और हमारे पास इस बात का कोई सबूत नही है कि डॉक्टर सुषमा ने चिकित्सा विधिक विवरण में काल्पनिक लिखा है| वह ऐसा क्यों करेंगी? ऐसा कोई सबूत

नही है क्यों उप-निरीक्षक राजेश कुमार काल्पनिक दस्तावेज़ बनाएगा| उन दोनों की भूमिका पर इस तरह किसी भी अवास्तविकता का कोई सबूत नही है| हालांकि गंभीर, लेकिन एक उचित मानसिक दशा में बयान देने के लिए यह पर्याप्त सबूत है जो डॉक्टर राजेश वर्मा की गवाही के माध्यम से सामने आया है और वह तीसरे व्यक्ति है जिनके खिलाफ किसी मंसूबे का कोई सबूत नही है|

31 ..... मृत्युत्तर वर्णन EX PW-14/A के अनुसार मृतक की मृत्यु आग लगने के 100% जलने की दहशत की वजह से हुई| ... मृतक के हाथों की स्थिति जैसे - हाथों के पृष्ठ से उतरती हुई त्वचा हाथों के पृष्ठीय भाग की तरफ- हथेली पर नही परन्तु हाथ के बाहरी हिस्से पर जलने की चोटों की सीमा की ओर इशारा करती है और वह एक संकेत देता है कि मृतक पर किसी और ने मिट्टी का तेल छिड़का था और न कि खुद मृतक ने खुद पर और यदि मृतक ने खुद पर ही मिट्टी का तेल डाला था तो वह उसके हाथों के पृष्ठों पर नही गिरता और यदि ऐसा होता तो हमें उसके हाथों के पृष्ठों की त्वचा उतरती हुई नही मिलती और यह साक्ष्य का अतिरिक्त भाग है जहां से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी और ने मृतक पर मिट्टी का तेल छिड़का था, न कि मृतक ने खुद पर मिट्टी के तेल छिड़का था|"

13.5 अपीलार्थियों की ओर से किए गए दावे को खारिज़ करते हुए कि पीड़ित शेर सिंह द्वारा PW-6 राजेश को कथित रूप से दिए गए बयान कि वह टैम्पो से गिर गया था इस कारण उसने खुद को आग लगा ली शायद पहले मृतुकलिक कथन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और विचारण न्यायालय के आरोपित फैसले के अनुच्छेद संख्या 29 के निष्कर्षों को मंजूर करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा:

"28. यह तर्क कि PW-6 राजेश ने स्पष्ट रूप से गवाही दी है कि जब उसने शेर सिंह को आग की लपटों में घिरा हुआ

पाया तो वह तुरंत उसके पास था| भीड़ में से किसी ने उससे पूछा कि उसे कैसे आग लगी द्वारा तो शेर सिंह ने बताया कि चूँकि वह टेम्पो से गिर गया था इसलिए उसने खुद को आग लगा ली और यह पहली बार हुआ था जहाँ शेर सिंह ने मृत्युकालिक कथन दिया और इस तरह उसको स्वीकार किया गया जो एक ऐसी दलील है जो माननीय विचारण न्यायाधीश के समक्ष उठाई गयी थी और जिसे उचित तरीके से खारिज़ कर दिया गया था और जिसके लिए हम आरोपित आदेश के पैरा 29 में माननीय विचारण न्यायाधीश के दिये गए तर्क को स्वीकार करते है और चूंकि माननीय विचारण न्यायधीश की प्रत्येक और सभी तर्कों को हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है, हमे अपने निर्णय में इस टिप्पणी को पुनः लिखकर अपने निर्णय को बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है और यह टिप्पणी करते है कि आरोपित निर्णय के पैरा 29 को हमारी वर्तमान राय के एक अभिन्न विचार के रूप में पढ़ा जाएगा|"

13.6 इसप्रकार, उच्च न्यायालय ने, बल्कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के अपने स्वतंत्र विश्लेषण में, अपीलार्थियों के अपराध के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की और अपीलों को खारिज़ कर दिया|

<u>प्रतिद्वंदी विवाद</u>

14. दोषी ठहराए जाने और सज़ा सुनाए जाने के आक्षेपित फैसले पर हमला करते हुए अपीलार्थी संख्या 1 की ओर से प्रतिवाद किया गया कि इस अपीलार्थी का दोष सिद्ध होने सिर्फ अनुमानों पर आधारित है और अभियोजन पक्ष उसकी पहचान तक साबित करने में विफल रहा था| मृतक की कथित मृत्युकालिक कथनों के उपयोगिता और महत्व के संबंध में माननीय अधिवक्ता दलील देंगे कि ऐसे मृत्युकालिक कथन विभिन्न

कारणों और गणनाओं के लिए विश्वसनीय नही है| माननीय अधिवक्ता ने सविस्तार बताया कि मृत्युकालिक कथन EX PW-16/B में होने वाला दावा कि मृतक ने शराब पी रखी थी को मृत्युत्तर रिपोर्ट EX PW-14/A में यह कहते हुए मिथ्या सिद्ध कर दिया है कि मृतक के शरीर मे शराब या कोई भी अवशेष नही था| विद्वान अधिवक्ता ने यह भी जिरह की कि PW-8 डॉक्टर सुषमा के अनुसार, मृतक का पूरा शरीर 100% गहरे जले की चोटों से पीड़ित था और चोटों का स्वरूप गंभीर था और उसने यह भी गवाही दी कि मृतक के अंगूठे भी जले हुए थे| इस प्रकार, माननीय अधिवक्ता के अनुसार, अंगूठो के साथ, जले की बताई गई स्थिति में, PW-16 का मृतक के अंगूठे के निशान लेने का अभिकथन स्पष्तः मिथ्या है और PW-16 के द्वारा कथित रूप से दर्ज़ मृत्युकालिक कथन एक जाली और षड्यंत्रात्मक दस्तावेज़ प्रतीत होते है| यह भी तर्क दिया गया है कि PW-16 के पास मजिस्ट्रेट को बुला कर मृत्युकालिक कथन दर्ज़ करवाने का पर्याप्त अवसर था क्योंकि वह डॉक्टर द्वारा कथित रूप से उपयुक्त घोषित किया गया था, परंतु PW-16 ने ऐसा नही किया और कथित रूप से खुद ही मृत्युकालिक कथन दर्ज़ कर लिया जो इस तरह के कथित मृत्युकालिक कथन की सत्यता पर गंभीर संदेह करता है| विद्वान अधिवक्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमो के

अध्याय - 13-A को उल्लेखित करते हुए निवेदन किया कि इसमें आवश्यकताओं के अनुसार PW-16 को दंडाधिकारी से उक्त मृत्युकालिक कथन को दर्ज़ करने का अनुरोध करना चाहिए था और किसी भी मामले में, उपस्थित चिकित्सीय या अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारी से अनुप्रमाणन लेना चाहिए था, लेकिन उसमें ऐसा नही किया और यह इस तरह के बयान की सत्यता पर और संदेह पैदा करता है| विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विभिन्न प्रकार की कमियों और विसंगतियों के साथ साथ पुष्टि की कमी के लिए भी, कथित मृत्युकालिक कथनों पर भरोसा नही किया जा सकता है और यह कि सज़ा का एकमात्र आधार होने के कारण, आक्षेपित निर्णय खारिज़ किये जाने के योग्य है| विद्वान अधिवक्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ **पंजाब राज्य बनाम ज्ञान कौर और एक अन्य: AIR 1998 SC 2809, उका राम बनाम राजस्थान राज्य: JT 2001 (4) SC 472, दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य: AIR 1979 SC 1173, गोपाल सिंह और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य: AIR 1972 SC 1557** और **थुरुकन्नी पोम्पियाह और अन्य बनाम मैसूर राज्य: AIR 1965 SC 939** को संदर्भित किया और उसमें दिए निर्णयों पर भरोसा जताया|

14.1 विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि कोई चश्मदीद गवाह नही होने और पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर टिके होने के कारण, अपीलार्थियों को परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला की स्थापना और कथित मृत्युकालिक कथनों का प्रभावशाली पुष्टिकरण से पहले दोषी नही ठहराया जा सकता था| विद्वान अधिवक्ता ने बहस की कि घटनास्थल एक भीड़-भाड़ वाला बाजार था और उस जगह पर बहुत सारी दुकानें थी और फिर, घटनास्थल पर निकलने की सिर्फ एक ही जगह थी| इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह अभियुक्त के लिए नामुमकिन था कि वह बाजार में किसी भी दुकानदार या लोगों द्वारा देखा न गया हो और वो घटनास्थल से भाग गया और उन्हें देखा न जाने पर, अभियोजन के मामले पर भरोसा नही किया जा सकता है|

14.2 विद्वान अधिवक्ता ने आगे PW-6 राजेश की गवाही पर भरोसा जताते हुए कहा कि पहली ही बार मे, पीड़ित ने इस प्रभाव तक गवाही दी कि वह उस टैम्पो से गिर गया था जिस पर वह काम करता था और उसने खुद को आग लगा ली थी| विद्वान अधिवक्ता इस बात का विरोध करेंगे कि PW-6 को प्रतिकूल घोषित नही किया गया है, मृतक के PW-6 को दिए गए बयान को ही पहला मृत्युकालिक कथन माना जाना चाहिए और उसमें मृतक द्वारा आत्मदाह के रूप में बताई गई घटना का

कारण, अभियोजन पक्ष को अकेले इस बात में विफल होना चाहिए| विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अन्य व्यक्तियों- रिंकू और दलजीत, जिनके नाम PW-6 के बयान में सामने आए है की जांच करने में विफल रहा है जो उस समय मौके पर मौजूद थे जब मृतक ने आत्मदाह के बारे में अपनी गवाही दी|

14.3 विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि PW-18 के अनुसार, जिसने मृतक को घटनास्थल से अस्पताल तक अपनी पुलिस नियंत्रण कक्ष की गाड़ी में ले कर गया था, मृतक पूरे रास्ते रो रहा था और बोलने में असमर्थ था और यह संस्करण, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, PW-16 की गवाही के विपरीत है कि मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ था और अपनी गवाही देने के लिए सचेत था|

14.4 यह ही माना गया है कि अभियोजन पक्ष ने दस्तावेज़ EX PW-7/A के सिर्फ भाग- 1 को सिद्ध किया लेकिन भाग- 2, 3 और 4 नही, उससे और इस तरह के अन्य भाग छेड़छाड़ और हेरफेर किये गए दिखाई देते है| विद्वान अधिवक्ता ने इस बात का भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी संख्या 1 की ओर से कथित अपराध को अंजाम देने के किसी भी उद्देश्य को सिद्ध करने में नाकाम रहा और PW-1 की सुनी सुनाई बात की गवाही कि उसने अपनी माँ से अपीलार्थी संख्या 1 और

मृतक के बीच झगड़े की बात सुनी थी, की कोई उपयोगिता और अर्थ नही है| विद्वान अधिवक्ता यह भी दावा करेंगे कि मृतक ने कथित मृत्युकालिक कथन में खुद कही भी अपराध के पीछे उद्देश्य का उल्लेख नही किया था और अभियोजन भी कोई उद्देश्य सिद्ध करने में विफल रहा, अभियोजन का मुकदमे को उचित संदेहों से परे स्थापित किया गया था| यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी संख्या 1 मृतक से ऊचांई में छोटा था| उसका मृतक के सिर पर मिट्टी का तेल फेंकने की कोई संभावना नही थी|

14.5 अंत मे, **शरद बिरधी चंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 SCC 116** के फैसले के संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब साक्ष्यों पर दो विचार संभव हो- पहला अभियुक्त के दोषी होने की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही का, तो अभियुक्त उस एक लाभ का हकदार है जो उसके पक्ष में है|

15. दोषसिद्धि और सज़ा पर हमला करते के अपीलार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि कथित मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय नही है और सज़ा इसके आधार पर नही हो सकती थी| यह बहस की गई कि मृत्युकालिक कथन बहुत सारे कारणों से अविश्वसनीय है जैसे कि:

(a) बाह्य रोगी विभाग कार्ड जोकि अस्पताल द्वारा बनाया गया पहला

दस्तावेज़ था, को अभिलेख पर पेश नही किया गया था (b) EX PW-8/A में इस्तेमाल भाषा का स्वर और आशय दर्शाते हैं कि यह मृतक की गवाही नही हो सकती थी क्योंकि मृतक गंभीर स्थिति में था (c) यह कि दस्तावेज़ EX PW-16/B जो कि कथित पहले बयान के लगभग तीन घंटो बाद दर्ज़ किया गया था, अधिक विस्तृत नही हो सकता था जबकि मृतक की हालत गंभीर थी और इलाज़ करने वाले डॉक्टर PW-9 के अनुसार मृतक की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी (d) यह कि मृत्युकालिक कथनों पर मृतक के अंगूठे के निशान पूरी तरह संदिग्ध है जबकि उसका पूरा शरीर 100% जले होने से पीड़ित था| (e) यह कि चिकित्सा विधिक विवरण या शव परीक्षण रिपोर्ट में कही भी शराब पीने का संकेत नही था (f) यह कि मृतक ने आधी बोतल शराब पी रखी थी, उसका सुस्पष्ट और सुसंगत लंबा बयान देना संदिग्ध है (g) यह कि मृत्युकालिक कथन को दर्ज़ करने के उद्देश्य सेमहानगर दण्डाधिकारी की सेवाओं की सहायता लेने के लिए कोई प्रयास नही किये गए थे| इस तरह, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, मृत्युकालिक कथन सत्यता और विश्वसनीयता के परीक्षण से पास होकर नही गुजरती और उन पर कार्यवाही नही की जा सकती है|

15.1 अपीलार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने PW-6 राजेश जिसे प्रतिकूल घोषित नही किया था, की गवाही पर दृढ़ता से भरोसा किया है और तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला विफल हो जाता है जब यह देखा गया कि मृतक द्वारा आत्मदाह का उसका संस्करण कथित मृत्युकालिक कथनों की सामग्री के बिलकुल विपरीत है|

15.2 अपीलार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष इस अपीलार्थी द्वारा अपराध को अंजाम दिए जाने के उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा है और **कलाबाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य : 2019 SCC ONLINE SC 621** के फैसले के संदर्भ में उसने तर्क दिया कि उद्देश्य साबित नही होने के कारण, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि वहनीय नही है|

15.3 विकल्प के तौर पर विद्वान अधिवक्ता ने यह भी आग्रह किया कि तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, भले ही अपीलार्थी संख्या 2 की दोषसिद्धि को बनाए रखा जाए, इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के तहत एक में बदला जा सकता है|

16. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की तरफ से वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता ने ज़ोरदार तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष स्पष्ट रूप से, स्वतंत्र रूप से दर्ज़ की गई दो मृत्युकालिक कथनों- एक PW-8 डॉक्टर सुषमा व दूसरा

PW-16 उप-निरीक्षक राजेश द्वारा दर्ज़ है- पर स्थापित किया गया है| विद्वान अधिवक्ता ने **लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य: (2002) 6 SCC 710** में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले का और **मध्य प्रदेश राज्य बनाम डाल सिंह: (2013) 14 SCC 159 और भगवान बनाम महाराष्ट्र राज्य: (2019) 8 SCC 95** के इस अदालत के अन्य फैसलों का हवाला दिया और कहा कि मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता से संबंधित स्थापित सिद्धांतो पर, अपीलार्थियों की ओर से किये गए दावे को खारिज़ किया जाना चाहिए| विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि ये दोनों मृत्युकालिक कथन तात्विक बिंदुओं और विशेषताओं के अनुरूप है और इसे विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है| विद्वान अधिवक्ता यह भी पेश करेंगे कि EX PW-8/A के दर्ज़ होने के समय, पीड़ित का कोई भी रिश्तेदार या जान-पहचान वाला वहाँ मौजूद नही था और सिखाए-पढ़ाए जाने की किसी भी संभावना को पूरी तरह खारिज़ किया गया है| विद्वन अधिवक्ता के अनुसार, PW-8 डॉक्टर सुषमा के पास मृतक के विवरण और उसकी स्वयं की कल्पना की अन्य जानकारी दर्ज़ करने की ऐसी कोई वज़ह नही थी और इस तरह के विवरण और जानकारी सिर्फ़ EX PW-8/A में ही पायी जा सकती है जब वह खुद पीड़ित द्वारा ही बताई गई हो| विद्वान

अधिवक्ता ने आगे कहा कि अंगूठे के निशान से संबंधित सवाल भी तब महत्वहीन हो जाता है जब यह ध्यान दिया जाता है कि EX PW-8/A पर अंगूठे के ऐसे कोई निशान नही है|

16.1 EX PW-16/B पर अंगूठे के निशान के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भले ही पीड़ित 100% जलने से प्रभावित था, इस तथ्य का सबूत नही है कि हाथों/हथेली का अंदरूनी हिस्सा भी इस हद तक जल गए थे कि पीड़ित अपने अंगूठे के निशान नही लगा सकता था और शव-परीक्षण रिपोर्ट भी यह बताएगी की हाथों का पृष्ठ जला हुआ था और इसलिए, EX PW-16/B पर अंगूठे के निशान लेने से इनकार नही किया जाता है| विद्वान अधिवक्ता ने फिर कहा कि, PW-16 के पास पीड़ित के साथ साथ अपराधियों के सभी विवरण, पते के साथ, दर्ज़ करने का मौका नही था, जब तक कि खुद पीड़ित द्वारा न दिए गए हो और न ही इस मृत्युकालिक कथन EX PW-16/B को अस्वीकार करने का कोई कारण है|

16.2 पीड़ित द्वारा खुद को आग लगाने और PW-6 द्वारा नामित अन्य व्यक्तियों के साक्ष्यों की संभावना में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस तरह के आत्मदाह का सिद्धांत और अन्य व्यक्तियों के नाम आवश्यक रूप से PW-6 राजेश की जिरह में पेश किए गए थे

और इसलिए, इस तरह के सिद्धांत को स्थापित करने और उन कथित व्यक्तियों की जांच का भार अभियुक्त व्यक्तियों पर था और यदि ऐसे व्यक्तियों की जांच नही की जाती तो अभियोजन पक्ष पर कोई दोष नही लगाया जा सकता था| विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, बचाव पक्ष आत्मदाह के सिद्धांत को स्थापित करने में विफल रहा है, इसलिए अपीलार्थियों की ओर से किए गए दावों को खारिज किया जाना चाहिए|

16.3 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि जहाँ तक उद्देश्य के सवाल का संबंध है, हालांकि PW-1 राजू की गवाही में उद्देश्य की संभावना अभिलेख पर आ गई है, लेकिन किसी भी मामले में, भले ही अभियोजन पक्ष मकसद के संबंध में अस्पष्ट साक्ष्य का नेतृत्व करने में सक्षम न हो, अपीलार्थियों के खिलाफ़ आरोप विफल नही होता है, विशेषकर, दोनों मृत्युकालिक कथनों के घटित होने वाले तथ्यों के मद्देनज़र|

16.4 इसलिए, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इस मुकदमे में मृत्युकालिक कथनों को सही तरीके से स्वीकार कर लिया गया है और उस आधार पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बिना किसी रोक-टोक के स्वीकार किया गया है|

17. प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्ण विवेचनकरने और अभिलेखों की जांच करने के बाद, हमे अपीलार्थियों की सज़ा में हस्तक्षेप पर विचार करने का कोई कारण नही मिलता हैं और, हमारे विचार में इस अपीलों को विफल होना चाहिए|

मृत्युकालिक कथन का स्वीकृति और स्वीकार्यता:सिद्धांत

18. पीड़ित द्वारा दिये गए बयान की स्वीकृति और स्वीकार्यता का सिद्धांत मृत्यु के कारणों का प्रतिनिधित्व करता है, आमतौर पर एक मृत्युकालिक कथन के रूप में संदर्भित किया जाता है, अच्छी तरह से स्थापित है और मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता के लिए पूर्व-अपेक्षाओं के संबंध में कुछ संदेह **लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य: (2002) 6 SCC 710** मुकदमे में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा भी बहाल किये गए थे|

18.1 कथित लक्ष्मण के मुकदमे मे, अपीलार्थी की दोषसिद्धि मृतक के मृत्युकालिक कथन पर आधारित थी जिसे न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दर्ज़ किया गया था| सत्र न्यायधीश और उच्च न्यायालय इस मृत्युकालिक कथन को सच्चा, स्वैच्छिक और विश्वसनीय पाया और उस आधार पर दोषसिद्धि दर्ज़ की गई| इस न्यायालय के समक्ष की गई अपील में **पपरामबाका रोशम्मा और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य:**

1999 CRI LJ 4321 के फैसले के संदर्भ में यह गुहार की गई थी कि न्यायालय द्वारा सज़ा का एकमात्र आधार बनाने के लिए मृत्युकालिक कथन को स्वीकार नही किया जा सकता था क्योंकि डॉक्टर का प्रमाणीकरण इस प्रभाव का नही था कि मरीज़ बयान देने के लिए उचित मानसिक स्थिति में था| दूसरी तरफ, राज्य की तरफ से **कोली चुन्नीलाल सावजी और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य: 1999 CRL LJ 4582** में दिए गए फैसले के संधर्भ में दावे के साथ यह कहा गया कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री इंगित करती है कि मृतक पूरी तरह होश में था और गवाही देने की स्थिति में था और उसका मृत्युकालिक कथन सिर्फ़ इस लिए अनदेखा नही किया जा सकता क्योंकि डॉक्टर ने उसकी गवाही देने के लिए उचित मानसिक स्थिति का अनुमोदन नही किया था| इन कुछ असंगत टिप्पणियों के मद्देनजर, इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया| संविधान पीठ ने मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता के संबंध में लागू सिद्धांतो का सारांश निम्नलिखित में दिया:

> “3. मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता के संबंध में न्यायिक सिद्धान्त यह है कि इस तरह की घोषणा अंतिम समय में की जाती है, जब वादी मृत्यु की कगार पर हो और जब इस दुनिया की सारी उम्मीदे खत्म हो गयी हो, जब झूठ का हर उद्देश्य निररुतर हो और व्यक्ति सिर्फ सच बोलने के सबसे ताकतवर विचार से प्रेरित होता है| इसके अलावा, ऐसी अनेक परिस्थितियों के अस्तित्व के कारण, जो उनके सच को प्रभावित कर सकती है, इस प्रकार के साक्ष्य को दिए

जाने वाले महत्त्व पर विचार करते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए| उस स्थिति में, जहां एक व्यक्ति मृत्युशय्या पर हो, गम्भीर और स्थिर हो, वह कानून की नज़र में उसकी गवाही की सत्यता को स्वीकार करने का कारण है| यह इस वजह से है कि शपथ और जिरह की आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाता है| चूंकि अभियुक्त के पास जिरह का कोई अधिकार नही है, इसलिए अदालतें इस बात पर ज़ोर देती है कि मृत्युकालिक कथन का स्वरूप इस तरह का होना चाहिए कि इसकी सत्यता और परिशुद्धता में अदालत के पूर्ण विश्वास को प्रेरित किया जा सके | हालांकि, न्यायालय को यह देखने के लिए हमेशा सावधान रहना होगा कि मृतक की बयान या तो सिखाया हुआ या उकसावा देना वाला या कल्पना का परिणाम नही था| न्यायालय को आगे यह भी अवश्य तय करना चाहिए कि मृतक उचित मानसिक स्थिति में था और उसे हमलावरों को देखने और पहचानने के लिए उपयुक्त अवसर मिला था| इसलिए, सामान्यतः यह संतुष्ट करने के लिए की क्या मृतक मृत्युकालिक कथन देने के लिए उचित मानसिक स्थिति में था, न्यायालय चिकित्सीय सलाह पर निर्भर रहता है| परंतु, जहां प्रत्यक्षदर्शी यह कहे कि मृतक घोषणा करने के लिए उचित और सचेत था तो चिकित्सीय राय आवश्यक/मान्य नही होगी, न ही यह कहा जा सकता है कि चूंकि घोषक की मानसिक स्वास्थ्यता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र नही है, मृत्युकालिक कथन स्वीकार्य नही है| मृत्युकालिक कथन मौखिक या लिखित में और बोलचाल के अन्य पर्याप्त तरीकों या तो शब्दों द्वारा या संकेत या अन्यथा पूरा हो बशर्ते, संकेत सकारात्मक और निश्चित हो| अधिकतर मामलों में, तथापि, यह बयान मृत्यु से पहले मौखिक रूप से किये जाते है और किसी दण्डाधिकारी या किसी चिकित्सक या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में दिया जाता है| जब यह दर्ज़ किया जाता है, तब न तो किसी शपथ की कोई आवश्यकता होती है और न ही किसी दण्डाधिकारी की मौजूदगी आवश्यक होती है हालांकि, प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए यदि दण्डाधिकारी उपलब्ध है, तो मरने वाले आदमी के बयान दर्ज़ करने के लिए दण्डाधिकारी को बुलाना सामान्य है| कानून की ऐसी

कोई आवश्यकता नही है कि मृत्युकालिक कथन अनिवार्य रूप से दंडाधिकारी के द्वारा ही बनाया गया हो और जब इस तरह के बयान दण्डाधिकारी द्वारा दर्ज़ किये जाते है, इस तरह के बयान दर्ज करने के लिए कोई निर्दिष्ट वैधानिक प्रपत्र नही है| नतीजतन, इस तरह के बयान के लिए कौन से साक्ष्य मूल्य या महत्व जोड़ा जाना चाहिए, अवश्य ही प्रत्येक विशिष्ट मुक़दमे के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है| जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है वह यह है कि जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन को दर्ज़ कर रहा है अवश्य की यह संतुष्ट कर ले कि मृतक स्वस्थ मानसिक दशा में था| जहा यह दण्डाधिकारी की गवाही द्वारा सिद्ध होता है कि घोषक बिना डॉक्टरी निरीक्षण के भी बयान देने के किये स्वस्थ था, घोषणा पर कार्यवाही की जा सकती है बशर्ते कि न्यायालय अंततः उसे स्वैच्छिक और सच्चा मान ले| डॉक्टर द्वारा प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से सावधानी का एक नियम है और इसलिए, घोषणा का स्वैच्छिक और सच्चा स्वरूप अन्यथा स्थापित किया जा सकता है|"

18.2 संवैधानिक पीठ ने पापरामबाका रोशम्मा (उपरोक्त) के अपने निर्णय को गलत तरीके से दिया गया बताते हुए कोली चुन्नीलाल सावजी (उपरोक्त) मामले में दिए गए अपने विचार की पुष्टि की| न्यायालय ने कहा:

"5. ..... यह वास्तव में एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण है कि चिकित्सक का प्रमाणन इस आशय तक था कि मरीज़ सचेत है और इसका कोई प्रमाणन नही था कि मरीज़ एक स्वस्थ मानसिक दशा में था, ख़ासतौर पर, जब दण्डाधिकारी ने स्पष्ट रूप से अपनी गवाही में उन सवालों का संकेत दिया जो उन्होंने मरीज़ के समक्ष रखे थे कि मरीज़ स्वस्थ मानसिक दशा में था जिसके बाद उसने मृत्युकालिक कथन दर्ज़ किया| इसलिए, पपरामबाका रोशम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1999) 7 SCC 695 में इस न्यायालय के फैसले को अवश्य ही सही ढंग से निर्धारित नही किया गया घोषित

किया जाता है और हम इस न्यायालय द्वारा कोली चुन्नीलाल सावजी बनाम गुजरात राज्य (1999) 9 SCC 562 में दिए गए फैसले की पुष्टि करते है|"

19. डाल सिंह (उपरोक्त) के मुकदमे में इस न्यायालय ने चिन्हित किया कि कानून यह उपलब्ध नही कराता की मृत्युकालिक कथन कौन दर्ज़ करेगा, न ही इसके लिए निर्धारित प्रारूप या प्रक्रिया है| इसके लिए जो अपेक्षित है वह यह कि जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन दर्ज़ कर रहा है, वह अवश्य ही इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि घोषणा देने वाला स्वस्थ मानसिक दशा में है और ऐसी गवाही देने में सक्षम है| यह न्यायालय यह भी चिन्हित करती है कि क्या किसी दिए गए जले के मामले में, अंगूठे की त्वचा पूरी तरह से जल गई थी या गर इसका कुछ हिस्सा बरकरार रहेगा, यह भी तथ्य का एक सवाल रहेगा|" इस न्यायालय ने कहा:

> "20. इस मुद्दे पर कानून का संक्षेपण इस प्रभाव तक किया जा सकता है कि कानून यह उपलब्ध नही कराता की कौन मृत्युकालिक कथन को दर्ज़ कर सकता है, न ही इसके लिए कोई निर्धारित रूप, प्रारूप या प्रक्रिया है| वह व्यक्ति जो मृत्युकालिक कथन को दर्ज़ करता है अवश्य ही संतुष्ट होना चाहिए कि घोषणा करने वाला व्यक्ति स्वस्थ मानसिक दशा में हो और ऐसी गवाही देने में सक्षम हो| इसके अतिरिक्त, मृतक की इस दशा के संबंध में चिकित्सक द्वारा प्रदान किये गए प्रमाणपत्र की आवश्यकता प्रत्येक मुकदमे में अनिवार्य नही है|
>
> 21. निःसन्देह, मृत्युकालिक कथन के साक्ष्यमूल्य और स्वीकार्यता के विषय पर, इस कारण के लिए अवश्य ही

सावधानी के साथ संपर्क किया जाना चाहिये कि इस कथन को देने वाला व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा नही कराई जा सकती है| हालांकि, न्यायालय तब तक एक मृत्युकालिक कथन का पुष्टिकरण नही करा सकता, जब तक कि घोषणा किसी में कोई **दुर्बलता** न हो|

22. जहां तक अंगूठे के निशान का संबंध है, वह तथ्यों पर निर्भर है कि क्या अंगूठे की त्वचा जो मृत्युकालिक कथन पर लगाया गया है, को भी जला दिया गया था| यहां तक कि शरीर में इस तरह के जलने के मामले में भी, शरीर के एक छोटे से हिस्से की त्वचा अर्थात अंगूठे की त्वचा बरकार रह सकती है| इसलिए, यह तथ्य का प्रश्न है कि क्या अंगूठे की त्वचा वास्तव में पूरी तरह से जल गई थी, और यदि नही, तो क्या लकीरें और घुमाव बरकरार थे|"

19.1 भगवान (उपरोक्त) मुकदमे में इस न्यायालय ने 92% जले की चोटों से पीड़ित व्यक्ति के मृत्युकालिक कथन को स्वीकार कर लिया और जिसकी निरंतर चेतना को चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया गया थी| इस न्यायालय ने **विजय पाल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) :(2015) 4 SCC 749**, में दिए गए फैसले को संदर्भित किया जिसमें 100% जले की चोटों से प्रभावित पीड़ित द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार किया गया था| इस न्यायालय ने कहा:

"23. .....(B). क्या एक व्यक्ति जो 92% जलने की चोटों से पीड़ित हो, मृत्युकालिक कथन देने की स्थिति में हो सकता है?

24. यह सवाल भी अब अनिर्णीत विषय नही है| विजय पाल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली):2015 (4) SCC 749 में हम निम्नलिखित चर्चा देखते है: (SCC p. 759, paras 23-24)

‘23. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि जब मृतक को 100% जलने की चोटे आई थी तो वह अपने भाई को किसी भी तरह का बयान नही दे सकती थी| इस संबंध में, हम लाभप्रद रूप से मफाभाई नागरभाई रावल बनाम गुजरात राज्य: (1992) 4 SCC, 69 में दिए गए फैसले को उल्लेखित कर सकते है जहाँ यह निर्णय दिया गया है कि एक व्यक्ति जो 99% जलने की चोटों से पीड़ित हो, मृत्युकालिक कथन देने के उद्देश्य के लिए पर्याप्त सक्षम माना जा सकता है| उक्त मुकदमों में अदालत ने यह मत दिया कि जब तक कुछ अंतर्निहित और स्पष्ट दोष मौजूद नही है, तब तक विचारण न्यायालय को चिकित्सक की राय के बदले अपनी राय नही देनी चाहिए| मुकदमे के तथ्यों के प्रकाश में, मृत्युकालिक कथन को भरोसे के लायक पाया गया था|

24. मध्य प्रदेश राज्य बनाम दाल सिंह:(2013) 14 SCC 159, में दो न्यायाधीशीय पीठ ने इस आधार पर कि मृत्युकालिक कथन में विश्वसनीयता पाई गई, मृतक के मृत्युकालिक कथन पर भरोसा किया जो 100% जले की चोटों से पीड़ित थी|”

25. इसलिए, मात्र यह तथ्य कि मरीज़ 92% जलने की चोटों से पीड़ित था जैसाकि इस मुकदमे में है, मृत्युकालिक कथन देने वाले मरीज़ के रास्ते मे नही आएगा जो अन्यथा न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता है और जो सिखाये होने से मुक्त है और विश्वसनीय पाया जा सकता है|”

20. ज्ञान कौर (उपरोक्त) के मुकदमे में, मृत्युकालिक कथन को इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि हालांकि चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार मृतक 100% जलने की चोटों से पीड़ित था, परंतु मृत्युकालिक कथन पर दिखाई देने वाले अंगूठे के निशान पर लकीरे व घुमाव स्पष्ट थे| उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए संदेह के लाभ अनुचित नही पाया गया

और इसलिए, इस न्यायालय ने अवलोकन करते हुए हस्तक्षेप करने से निम्न प्रकार इनकार कर दिया:

> **"5.** उच्च न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन को इस आधार पर इनकार कर दिया कि भले ही चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर रीटा 100% जली हुई थी, लेकिन मृत्युकालिक कथन पर मौजूद रीटा के अंगूठे के निशान पर लकीरे व घुमाव स्पष्ट थे| उच्च न्यायालय ने PW-1 डॉक्टर अजय साहनी की गवाही को विश्वसनीय नही पाया क्योंकि वह संतोषजनक रूप से यह बताने में विफल रहा कि मृत्युकालिक कथन पर यह अंगूठे के निशान कैसे दिखाई दिए जबकि रीटा का पूरा शरीर 100% जला हुआ था| उच्च न्यायालय ने डॉक्टर अनेजा के बयान पर भरोसा जताया जिन्होंने शव-परीक्षण किया था और स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि उसका पूरा शरीर 100% जला हुआ था और रीटा के दोनों अंगूठे जले हुए थे| ऐसे असंगत सबूतों के मद्देनजर उच्च न्यायालय प्रतिवादियों को संदेह का लाभ देने में सही था| इस मुकदमे में यह नही कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने कोई अनुचित विचार लिया है|"

20.1 गोपाल सिंह (उपरोक्त) के मुकदमे में न्यायालय ने पाया कि मृत्युकालिक कथन में उन व्यक्तियों के पूरे नाम और पते शामिल नही थे जिन पर अपराध का आरोप लगाया गया था और यह पाया कि दोषसिद्धि केवल ऐसे मृत्युकालिक कथन के आधार पर बिना पुष्टिकरण के नही हो सकती थी| आवश्यक रूप से, इस तरह की मृत्युकालिक कथन द्वारा की गई अशक्तता के लिए, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के बरी करने के हस्तक्षेप के आदेश को निम्न प्रकार से समीक्षा करते हुए कम न्यायोचित पाया:

> "8. लेकिन, भले ही, हम यह मान ले कि उच्च न्यायालय निष्कर्ष निकलने में सही था कि मृत्युकालिक कथन अपीलार्थियों की पहचान को स्थापित करता है, तो यह निश्चित रूप से उस चरित्र का नही था जिसकी बिना पुष्टिकरण के उसकी स्वीकार्यता का आधार हो| यह स्थापित कानून है कि एक न्यायालय केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्धि की हकदार है अगर ऐसा है कि मुकदमे की परिस्थितियों में इसे सत्य माना जा सकता है| दूसरी तरफ यदि, एक दुर्बलता के कारण, इसे पूरी तरह से विश्वसनीय नही ठहराया जा सकता, तो इसके पुष्टिकरण की आवश्यकता होगी.....|"

20.2 दलीप सिंह (उपरोक्त) के मुकदमे में कथित मृत्युकालिक कथन इसलिए संदेहास्पद निकला क्योंकि उसमें ऐसे तथ्य थे जो मृतक की जानकारी में नही हो सकते थे और इसलिए इस न्यायालय ने निम्न प्रकार टिप्पणी करते हुए इस पर भरोसा करना असुरक्षित पाया:-

> "9. ..... मृत्युकालिक कथन अन्यथा सत्य प्रतीत होता है परंतु इस तथ्य के लिए कि यह तेज़ा सिंह की जानकारी या दृष्टि के दायरे में नही हो सकता है कि जेठा सिंह की अपीलार्थियों द्वारा हत्या की गई थी| मृत्युकालिक कथन में उसका ऐसा कहना उसके बयान को थोड़ा संदिग्ध बनाता है| इसलिए, इस मृत्युकालिक कथन पर विचार करना छोड़ देना ही सुरक्षित है| ....."

20.3 थुरुकन्नी पोम्पियाह (उपरोक्त)के मुकदमे में, इस न्यायालय ने कहा कि जन एक सच्चा और विश्वसनीय मृत्युकालिक कथन, बिना पुष्टिकरण के भी दोषसिद्धि के एकमात्र आधार के रूप में हो सकता है, लेकिन न्यायालय को इसकी सत्यता और विश्वसनीयता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए और अगर न्यायालय को लगे कि घोषणा पूरी तरह

से विश्वसनीय नही है और घटना का मृतक के संस्करण का एक तात्विक हिस्सा असत्य है, तो न्यायालय, दिए गए मुकदमे की परिस्थितियों में, आगे बिना किसी पुष्टिकरण के सिर्फ़ घोषणा के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराना असुरक्षित मान सकती है| इस न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न प्रकार से अवलोकन किया:

> **"10.** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 की उपधारा (1) के तहत एक व्यक्ति, द्वारा दिया गया बयान, जो मृत है, उसकी मृत्यु के कारण के रूप में या लेनदेन की किसी भी परिस्थिति के कारण, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, एक प्रासंगिक तथ्य है, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण संदेह में आता है, और ऐसा कथन प्रासंगिक है कि वह व्यक्ति जिसने यह कहा, वह इसे देने के समय मृत्यु की प्रतीक्षा में था या नही था और कार्यवाही की प्रकृति कुछ भी हो सकती है जिसमे उसकी मौत का कारण सवाल के घेरे में आता है| इसप्रकार ,इरन्ना का मृत्युकालिक कथन इस मुकदमे में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण साक्ष्य है| एक सच्चा और विश्वसनीय मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है, भले ही इसकी पुष्टि न हुई हो| परंतु, न्यायालय को संतोष होना चाहिये कि घोषणा सत्य है| घोषणा की विश्वसनीयता की गहन जांच होनी चाहिए , यह मानते हुए की 'यह अभियुक्त की अनुपस्थिति में कहा गया था, जिनके पास बहस द्वारा इसकी सत्यता का परीक्षण करने का कोई अवसर नही था| अगर न्यायालय को यह लगता है कि घोषणा पूरी तरह से विश्वसनीय नही है और पूरे घटनाक्रम का मृतक के संस्करण का एक तात्विक और अभिन्न हिस्सा असत्य है, तो न्यायालय, मुकदमे की सभी परिस्थितियों में, केवल घोषणा के आधार पर बिना किसी और पुष्टिकरण के, अभियुक्तों को दोषी ठहराना असुरक्षित मान सकती है|"

20.4 उका राम (उपरोक्त)के मुकदमें में, इस न्यायालय ने फिर से इस आवश्यकता पर ज़ोर दिया कि न्यायालय को मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता, उसकी स्वेच्छिक़ प्रकृति और मृतक की मानसिक स्वस्थ्ययता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए और इस प्रकार कहा:

> "6. एक बार न्यायालय जब संतुष्ट हो जाये कि मृत्युकालिक कथन सच्चा, स्वैच्छिक और किसी भी बाहरी विचार से प्रभावित नही था, तो वह बिना किसी अतिरिक्त पुष्टि के अपनी दोषसिद्धि को आधार बना सकती है क्योंकि पुष्टि की आवश्यकता का नियम कानून का नियम नहीं है, बल्कि केवल विवेक का नियम है|"

20.4.1 उका राम के उक्त मामले में, हालांकि, न्यायालय ने पाया कि मृतक एक मानसिक रोगी था और मृत्युकालिक कथन देने के समय मृतक की मानसिक दशा के बारे में एक संदेह मौजूद था| दी गयी परिस्थिति में, इस न्यायालय ने अभियुक्तो को संदेह का लाभ देने के लिए एक उपयुक्त मामला पाया|

21. यहां ऊपर जो कुछ भी देखा गया है, मृत्युकालिक कथन को दर्ज़ करने और इसकी स्वीकार्यता और विश्वसनीयता से संबंधित कुछ सिद्धांतो को उपयोगी रूप से निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

i) एक मृत्युकालिक कथन यदि न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता है, तो वह बिना पुष्टि के भी सज़ा का एकमात्र आधार हो सकता है|

ii) न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि घोषक बयान देते वक्त एक स्वस्थ मानसिक दशा में था, और यह कि यह एक स्वैच्छिक़ बयान था जो किसी सिखाए जाने, उकसावे या कल्पना का परिणाम नही था|

iii) जहां मृत्युकालिक कथन संदेहास्पद हो या किसी अशक्तता से ग्रस्त हो जैसे कि घोषक की स्वस्थ मानसिक दशा या ऐसी प्रकृति की कमी जैसी, तो बिना साक्ष्य के पुष्टिकरण के इस पर कार्यवाही नही की जानी चाहिए|

iv) जब प्रत्यक्षदर्शी यह अभिपुष्ट करे कि मृतक बयान देने के लिए स्वस्थ और सचेत स्थिति में नही था, चिकित्सीय राय प्रबल नही हो सकती|

v) कानून यह नही बताता कि कौन मृत्युकालिक कथन दर्ज़ कर सकता है, न ही इसके लिए ऐसा कोई निर्धारित प्रारूप या प्रक्रिया है लेकिन मृत्युकालिक कथन दर्ज़ करने वाला व्यक्ति अवश्य ही संतुष्ट होना चाहिए कि घोषक स्वस्थ मानसिक स्थिति में है और बयान देने में सक्षम है|

vi) यद्यपि, दण्डाधिकारी की मौजूदगी मृत्युकालिक कथन को दर्ज़ करने के लिए परम आवश्यक नही है लेकिन प्रमाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह अपेक्षित है कि दण्डाधिकारी को ऐसे मृत्युकालिक कथन को दर्ज़ करने के लिए अनुरोध किया जाए और/या

अन्य व्यक्तियों से, जो मृत्युकालिक कथन दर्ज़ करते समय वहां मौजूद हो, से अनुप्रमाणन प्राप्त किया जाए|

vii) जहां तक जलने के मामले का संबंध है, जलने के प्रतिशत और मात्रा, अपने आप में मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता का निर्णायक नही होगा और घोषक के बयान देने की स्वस्थ और सचेत स्थिति के बारे में साक्ष्य की गुणवत्ता निर्णायक कारक होगा|

viii) अगर सावधानीपूर्वक संवीक्षा के बाद, न्यायालय मृत्युकालिक कथन के रूप में दिए गए बयान को स्वैच्छिक पाता है और इसे स्पष्ट और सुसंगत भी पाता है, तो बिना पुष्टिकरण के भी इसके आधार पर दोषसिद्धि दर्ज़ करने में कोई कानूनी बाधा नही है|

22. मौजूद मामले के तथ्यों पर प्रासंगिक सिद्धांतो को लागू करते हुए, हमें लेशमात्र भी संदेह नही है कि अपीलार्थियों को PW-8 डॉक्टर सुषमा और PW-16 उप-निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा दर्ज़ किए गए पीड़ित शेर सिंह के बयानों के आधार पर सही तरीके से दोषी ठहराया गया है|

PW-8 की गवाही और Ex. PW-8/A की सामग्रियां

23. जैसाकि देखा गया है, अभिलेख पर यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि जब पीड़ित शेर सिंह आग में घिरा हुआ पाया गया, तो पुलिस नियंत्रण कक्ष में सूचना मिली और उसकी गाड़ी घटना होने के कुछ मिनटों के

भीतर ही घटनास्थल पर पहुँच गयी और पीड़ित को तुरंत गाड़ी में डाला गया और तुरंत सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था| हालांकि, PW-9 डॉक्टर एच.के. शर्मा और PW-8 डॉक्टर सुषमा की भी गवाही से यह प्रतीत होता है कि मरीज़ के अस्पताल में दाखिले के समय जो पहला दस्तावेज़ तैयार किया गया वह बाह्य रोगी विभाग पर्ची है और वह बाह्य रोगी विभाग पर्ची इस मामले में अभिलेख पर पेश नही की गई है| हालांकि, अभियोजन पक्ष की ऐसी भूल, हमारी दृष्टि में, मामले के सार पर कोई प्रभाव नही पड़ता क्योंकि बाह्य रोगी विभाग पर्ची तैयार करने के तुरंत बाद, पीड़ित को burn ward में ले जाया गया और PW-8 डॉक्टर सुषमा द्वारा विस्तृत चिकित्सा विधिक केस सूचना तैयार की गई थी| घटना शाम लगभग 3:00 बजे से 3:15 के बीच हुई थी और शाम 4:35 बजे डॉक्टर सुषमा द्वारा चिकित्सा विधिक सूचना (Ex PW-8/A) तैयार की गई थी| घटना और चिकित्सा-विधिक सूचना की तैयारी के बीच अनावश्यक समय अंतराल नही था विशेषकर तब जब समय का प्रमुख हिस्सा परिवहन की प्रक्रिया में बीत गया था|

23.1 इस मुकदमें की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उक्त चिकित्सा-विधिक सूचना (Ex PW-8/A) में PW-8 ने विशेषकर विवरणों और सूचना का उल्लेख किया जिसकी खुद पीड़ित द्वारा बताया गया था|

जैसाकि देखा गया है कि, विशेषकर के विवरणों में, इस डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से पीड़ित का संस्करण कहा है कि उसे जलने की चोटे आई थी 'जब किसी पुरुषोत्तम और सुरेश (तेलवाला)ने उसे धमकाया और फिर उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसको आग लगा दी|' यह देखा गया है कि Ex PW-8/A में शब्द 'तेलवाला' को कोष्ठकों के भीतर उल्लेख किया गया था और हिंदी (मातृभाषा अभिव्यक्ति होने के कारण)में लिखा गया था, हालांकि, इस दस्तावेज़ की अन्य सामग्रियां अंग्रेज़ी में भरी गयी थी| PW-8 अपने अभिकथन में स्पष्ट थी कि मरीज़ ने उसको जलने की चोटें आने के पीछे के कथित इतिहास के बारे में स्वयं बताया था| PW-8 डॉक्टर सुषमा के बयान पर अविश्वास या शक भी करने के लिए अभिलेख पर आवश्यक रूप से कुछ भी नही है| इसके विपरीत, डॉक्टर द्वारा शब्द प्रति शब्द अभिव्यक्ति की ऐसा अभिलेखन उसकी गवाही और उसके द्वारा तैयार किये गए दस्तावेज़ को विश्वसनीयता देता है| हमारी दृष्टि में, PW-8 की इस गवाही के साथ यह संदेह से परे स्थापित है कि अस्पताल में उसके पहले संस्करण के, पीड़ित शेर सिंह ने जोर देकर कहा कि पुरषोत्तम और सुरेश ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी| यह भी स्थापित है कि सुरेश, पीड़ित द्वारा 'तेलवाला' के रूप मे पहचाना गया था और इसमें कोई संदेह नहीं है कि

अपरिष्कृत भाषा में, यह संदर्भ किसी तरह के तेल व्यवसाय में काम करने वाले व्यक्ति के लिए था| हमलावरों के नाम और मामूली विवरणों के साथ यह पहले निशान है| जैसाकि इसके बाद देखा जा सकता है कि, परिस्थितियों के क्रम में, भावाभिव्यक्तियों को अपीलार्थियों पर सही रूप से लगाया गया है|

23.2 यह भी उल्लेखनीय है कि Ex PW-8/A में PW-8 डॉक्टर सुषमा ने मरीज़ की चिकित्सीय स्थिति से संबंधित अन्य सभी लक्षणों को उल्लेखित किया और दर्ज़ किया कि वह 'जलने की चोंटो से पीड़ित था जिसमें पूरे शरीर का सतह क्षेत्र- 100% गहरे जलने से पीड़ित था'| हालांकि और यहां तक कि यह उल्लेख करते समय भी कि मरीज़ की सामान्य स्थिति 'नाज़ुक' थी, Ex PW-8/A में यह भी अभिलेखित था कि मरीज़ 'सचेत, उन्मुख' था| यह Ex PW-8/A की सामग्रियों से पीड़ित शेर सिंह की स्थिति के बारे में स्पष्ट है कि हालांकि डॉक्टर ने उसे 100% गहरे जलने के साथ गंभीर स्थिति में पाया, फिर भी वह सचेत और उन्मुख था| दूसरे शब्दों में, वह न तो बेहोश था न ही उत्कंठित| फिर भी दूसरे शब्दों में, वह न तो बेसुध था न ही भ्रमित| डॉक्टर को बयान देने के समय पीड़ित की मानसिक क्षमताओं के बारे में ऐसी महत्वपूर्ण टिप्पणी यह स्पष्ट करती है कि जब वह 100% के गहरे

जलने की पीड़ा से जूझ रहा था, वह अस्वस्थ मानसिक अवस्था मे नही था और Ex PW-8/A में दर्ज़ किए गए उसके पहले संस्करण को अविश्वास करने का कोई कारण नही दिखता है|

PW-16 की गवाही और Ex PW-16/B की सामग्रियां

24. बयान (Ex PW-16/B) कहा जाता है कि पीड़ित शेर सिंह द्वारा PW-16 उप-निरीक्षक राकेश कुमार को दिया गया था, जैसाकि अस्पताल में हिंदी भाषा मे दर्ज़ था, वास्तव में अभियोजन पक्ष के मुकदमे का केंद्र बिंदु है| यह बयान तथा PW-16 उप-निरीक्षक राकेश कुमार की गवाही को विचारण न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत जांचा गया है, जैसाकि ऊपर दिए गए निष्कर्षण में देखा गया है| हमने दुबारा PW-16 की गवाही और Ex PW- 16/B की सामग्रियों को भी जांच किया है और कोई अन्य दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नही पाते है| PW-16 की प्रासंगिक समय पर उस अस्पताल में मौजूदगी पर सवाल नही किए गए है और यह अभिलेख पर स्पष्ट रूप से स्थापित है कि पीड़ित के बयान को दर्ज़ करने से पहले, उसने अर्ज़ी Ex PW-16/A लगाई थी जहां PW-17 डॉक्टर राजेश वर्मा ने मरीज़ को बयान देने के लिए स्वस्थ घोषित किया| इसके बाद, PW-16 ने पीड़ित का बयान दर्ज़ किया और अभिलेख पर यह नही दिखाया गया है कि PW-16 द्वारा

बयान दर्ज़ करने के समय मृतक का कोई रिश्तेदार मौजूद था| सिखाए या उकसावे की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खारिज़ किया जाता है| जैसाकि उसके बयान में देखा गया है , पीड़ित ने यहां तक कि जिस वाहन पर वह नौकरी करता था, उसका पंजीकरण संख्या भी बताया और सवालिया घटना में उनकी अपनी अपनी भूमिकाओं को बताते हुए अपीलार्थियों के नाम और पते बताये| इस बयान को देते समय, पीड़ित शेर सिंह 100% गहरे जलने की चोटों से पीड़ित था और एक गंभीर स्थिति में था| दी गयी स्थिति में, उद्देश्य वगैरह पर विस्तार से बात करने की उससे न्यूनतम अपेक्षा थी| PW-16 द्वारा वह सब कुछ दर्ज़ किया लगता है जो उसे पीड़ित द्वारा बताया गया था और उसके द्वारा किसी भी तरह की हेराफेरी दिखाई नही देती है|

दो बयान Ex PW-8/A और Ex PW-16/B मृत्युकालिक कथन है|

25. यहा ऊपर जो कुछ भी देखा गया है, वह स्पष्ट है कि डॉक्टर के समक्ष उसके पहले संस्करण में पीड़ित शेर सिंह ने पुरषोत्तम और सुरेश का अपने हमलावरों के रूप में नाम बताया और अपनी मृत्यु के सिर्फ चंद घण्टों पहले PW-16 को दिए गए बयान में उसके द्वारा इन व्यक्तियों का ब्यौरा पूरी तरह से वर्णित था| यह विवादित नही है कि विवरण और पते जैसाकि पीड़ित द्वारा उसके बयान Ex PW-16/B में कहे गए है,

केवल अपीलार्थियों के थे| इसलिए, यह प्रत्यक्ष रूप से सामने आता है कि पीड़ित ने अपनी मृत्यु से पहले, आरोप लगाया कि अपीलार्थी संख्या 2 ने उस पर आग लगाई थी और अपीलार्थी संख्या 1 उसका सहभागी था| Ex PW-8/A में उसका बयान दर्ज करते समय, PW-8 डॉक्टर ने उल्लेख किया कि वह सचेत और उन्मुख था| दूसरी तरफ, पीड़ित के बयान (Ex PW-16/B) को दर्ज़ करने से पहले, PW-16 ने PW-17 डॉक्टर राजेश वर्मा से प्रमाणीकरण प्राप्त किया कि मरीज़ अपना बयान देने के लिए स्वस्थ था| दी गयी परिस्थितियों में, हम कोई अशक्तता नही पाते कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि पीड़ित बयान देने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में था| अभिलेख पर यह भी स्थापित नही किया गया है कि पीड़ित के बयान सिखाये गए या कल्पना का परिणाम थे| दूसरे शब्दों में, बयान स्वैच्छिक प्रतीत होते है और स्वस्थ मानसिक दशा में दिए गए थे| दी गई परिस्थितियों में, पीड़ित द्वारा दिए गए बयानों पर मृत्युकालिक कथनों के तौर पर कार्यवाही की जा सकती है| हालांकि, इन बयानों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, अपीलार्थियों की ओर से पेश की गई आलोचना से निपटना उचित होगा|

25.1 यह तर्क किया गया है कि यह बयान Ex PW-16/B इसलिए स्वीकार नही किया जा सकता है क्योंकि यह दण्डाधिकारी द्वारा या उनकी उपस्थिति में दर्ज़ नही किए और न ही कोई अनुप्रमाणन प्राप्त किया गया है| दिल्ली उच्च न्यायालय नियम के अध्याय 13-A का भी उल्लेख किया गया| हमारी दृष्टि में, उक्त नियम मृत्युकालिक कथन दर्ज़ करने के अपेक्षित तरीके के संबंध में, उनकी प्रकृति से, केवल प्रत्यक्ष रूप से विचार किया जा सकता है और यह निर्धारित नही किया जा सकता है कि उसमें किसी भी अपेक्षा के अनुपालन की कमी के परिणामस्वरूप एक अभिलिखित मृत्युकालिक कथन को खारिज कार दिया जायेगा| उक्त नियमो में अपेक्षाएँ की गई है कि मृत्युकालिक कथन एक न्यायिक अधिकारी द्वारा दर्ज़ किया जाए, घोषक की स्वास्थता की जांच की जाए, बयान सरल वर्णन के रूप में हो, घोषक के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान प्राप्त किए जाए वगैरह, सभी स्पष्तः यह सुनिश्चित करने का इरादा है कि मृत्युकालिक कथन उस तरह से दर्ज़ किया जाए कि इसकी विश्वसनीयता संदिगध न रह जाए| हालांकि, एक विशेष बयान, जब मृत्युकालिक कथन के तौर पर पेश किया जाता है और न्यायिक जांच के सभी अपेक्षाओं को संतुष्ट करता है, सिर्फ इसलिए ठुकराया नही जा सकता क्योंकि यह एक दण्डाधिकारी द्वारा दर्ज़ नही

किया गया या पुलिस अधिकारी ने बयान लेते समय मौजूद किसी भी व्यक्ति से अनुप्रमाणन प्राप्त नही किया| इस संबंध में भी, गवाह PW-19 निरीक्षक ओम प्रकाश ने चिन्हित किया कि जब उप-निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा शेर सिंह के बयान को अनुप्रमाणित करने के लिए जब पूछा गया, तो डॉक्टर ने कहा कि तथ्य पहले से ही चिकित्सीय-विधिक विवरण में दर्ज़ है और बयान को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नही है| मामले का समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हमें कोई कारण नही मिला कि बयान Ex PW-16/B को केवल दण्डाधिकारी द्वारा दर्ज़ किये जाने या अनुप्रमाणन के अभाव में खारिज कर दिया जाए|

25.2 अपीलार्थियों की ओर से इस तथ्य पर ज़ोर दिया गया कि पीड़ित शेर सिंह 100% जलने से पीड़ित था और वह पहले से ही गंभीर स्थिति में था और उसके आगे, उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी| इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि ऐसी नाज़ुक और बिगड़ती हालत में, वह उचित, सुसंगत और स्पष्ट बयान नही दे सकता था| प्रस्तुतियां हस्तक्षेप का मुकदमा नही बनाती है| जैसाकि विजय पाल के मुकदमे में निर्धारित किया गया और भगवान (उपरोक्त) के मुकदमे में पुनर्नियुक्त किया गया, जलने की चोटों की सीमा- 92% से अधिक और यहां तक

कि 100% से परे- अपने आप में यह निष्कर्ष नही निकल सकती है कि ऐसी जलने की चोटों का पीड़ित बयान देने की स्थिति में नही हो सकता| जलने की चोटों की सीमा और गंभीरता के बावजूद, जब डॉक्टर ने उसको बयान देने के लिए स्वस्थ मानसिक दशा में होने के लिए प्रमाणित किया और बयान को दर्ज़ करने वाला व्यक्ति भी उसकी स्वस्थता और बयान देने को लेकर संतुष्ट था और जब कोई अन्तरनिर्हित या स्पष्ट दोष दिखाई नही देता है, हमारी दृष्टि में, मृत्युकालिक कथन को खारिज नही किया जा सकता| अपीलार्थियों की ओर से जो दलील दी गयी है उसके विपरीत हमारा यह विचार है कि मृत्यु के कगार पर खड़े एक व्यक्ति द्वारा दिये गए बयान की स्वीकार्यता के बारे में न्यायिक सिद्धांत की मान्यता में इसके मूल सिद्धांत है कि जीवन के आखिरी बिंदु पर, झूठ के प्रत्येक उद्देश्य को हटा दिया जाता है या चुप कर दिया जाता है| एक आग पीड़ित के लिए जैसाकि मौजूदा मामले में है, चोटों की गंभीरता पीड़ित में जीवन की कम होती आशा की ओर एक स्पष्ट संकेतक है और स्वीकृत सिद्धांतो के आधार पर, जीवन की आशा के घटने की गति केवल झूठ या अनुचित उद्देश्य की संभावना को मिटा सकती है| बेशक, यह उस सिद्धांत की ओर नहीं ले जा सकता कि चोट की गंभीरता स्वयं

मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता की ओर ले जाएगी| जैसाकि देखा गया है, अभी भी कुछ अन्तर्निहित दोष हो सकते है जिनके लिए एक बयान, भले ही मृत्युकालिक कथन के रूप में दर्ज़ किया गया हो, बिना पुष्टिकरण के भरोसा नही किया जा सकता है| मौजूदा उद्देश्य का अवलोकन करने के लिए पर्याप्त होगा कि केवल 100,% जलने की चोटों के लिए यह नही कहा जा सकता है कि पीड़ित बयान देने में असमर्थ था, जिस पर मृत्युकालिक घोषणा के रूप में कार्य किया जा सकता था|

25.3 यह सुझाव भी दिए गए कि पीड़ित 100% जली हुई हालत में था और इसलिए कथित बयान Ex PW-8/A और PW-16/B तोड़े-मरोड़े और बनाये हुए है| हमें इन सुझावों में कोई सार नही मिला है जिसके लिए कोई कारण दिखाया गया हो कि PW-8 डॉक्टर सुषमा और PW-16 उप-निरीक्षक राजेश कुमार ने इस तरह के दस्तावेज का निर्माण करेंगे| दिलचस्प बात यह है कि PW-19 निरीक्षक ओम प्रकाश को उनकी जिरह में उसको अभियुक्त व्यक्तियों के साथ पिछली कहा सुनी या झगड़े को लेकर कुछ सुझाव दिए गए थे| हालाँकि, PW-16 या PW-8 को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया था| इसी कारण से, बयान Ex PW-16/B पर पीड़ित के अंगूठे के निशान की उपलब्धता के बारे में सुझाये जाने वाले संदेह खारिज किये जाने चाहिए| डाल सिंह (उपरोक्त)के

मुकदमे में, इस अदालत ने यह इंगित किया कि जलने के मामले में, शरीर के छोटे अंगों की त्वचा जैसे अंगूठा बरकरार रहती है और यह आवश्यक रूप से तथ्य का सवाल है कि क्या अंगूठे की त्वचा भी पूरी तरह से जल गई थी| इस संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि शव-परीक्षण विवरण के अनुसार, जब पीड़ित 100% गहरे जलने को सह रहा था, तो हाथों के पृष्ठ की त्वचा का उतरना देखा गया था और इस प्रकार, Ex PW-16/B पर अंगूठे के निशान लेने से इनकार नही किया जा सकता| विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय की Ex PW-16/B पर अंगूठे के निशान की स्वीकार्यता की समवर्ती निष्कर्ष किसी भी हस्तक्षेप की मांग करते हुए प्रतीत नही होते है| यह मज़बूरन बार बार दोहराया जाता है कि PW-16 के लिए अंगूठे के गलत निशान के साथ दस्तावेज़ बनाने की सीमा तक जाने का कोई कारण नही दिखता है|

25.4 अपीलार्थियों की ओर से एक अन्य तर्क किया गया है कि उसके बयान के अनुसार, पीड़ित, ने आग लगने से पहले कथित तौर पर आधी बोतल शराब पी थी, लेकिन, शव-परीक्षण विवरण के अनुसार, मृत शरीर मे ऐसी कोई शराब नही पाई गई थी| इसके अलावा, अगर उसने शराब पी थी, तो उसकी सुसंगत तरीके से बात करने की संभावना बहुत कम थी| हमें इन दावों में भी सार की कमी लगी है| यह जलने से लगने

वाली चोंटो का एक मुकदमा था और शव-परीक्षण विवरण के अनुसार, यकृत, तिल्ली, गुर्दा और शरीर के अन्य भाग संकुलित (एक दूसरे से सट्टे हुए)पाए गए थे| ऐसे आग से लगी चोटों के मामले में , पीड़ित द्वारा उसके शराब पीने के बारे में दिए गए बयान के खिलाफ़ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नही निकाला जा सकता है और इस कारण से, उसके बयान में बताए गए अन्य सभी तथ्यों की विश्वसनीयता पर संदेह नही किया जा सकता है| जैसाकि देखा गया है, उसने अस्पताल में दाखिले के समय पते सहित अपने पूर्ण विवरण दिए थे और यह नही दिखाया गया है कि इस तरह के विवरण किसी और के द्वारा बताए गए थे| उसने अपने गवाही Ex PW-16/B में यहां तक कि वाहन का पंजीकरण संख्या बताई जिसपर वह काम करता था और उसके बाद यह बताते हुए कि अपीलार्थी संख्या 2 सुरेश ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और अपीलार्थी संख्या 1 पुरषोत्तम भी वहाँ मौजूद था और उसके बाद अपीलार्थी संख्या 2 ने माचिस की तिल्ली जला कर उसको आग लगा दी, दोनों अपीलार्थियों के नाम व पते भी दिए| यह कहना मुश्किल है कि पीड़ित सुसंगत बयान देने में असमर्थ था|

25.5 यहां ऊपर जो कुछ भी चर्चा की गई है, उसके लिए हमारी स्पष्ट राय यह है कि दोनों बयानों Ex PW-8/A और Ex PW-16/B को शेर

सिंह के मृत्युकालिक कथनों (अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले दिए गए)के रूप में स्वीकार लिया गया है और इसे खारिज करने का कोई कारण नही है| दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, जहां यह दोनों मृत्युकालिक कथन विश्वास को प्रेरित करते है, स्पष्ट रूप से हमारी राय है कि बिना पुष्टिकरण के भी उन पर भरोसा किया जा सकता है और कार्यवाही की जा सकती है|

PW-6 की गवाही

26. इस मुकदमे में PW-6 राजेश की गवाही के संबंध में बहुत जोर दिया गया है और अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस गवाही के मुताबिक, पीड़ित ने खुद के टेम्पो से गिर जाने के कारण आत्मदाह के बारे में इस समय पहली बार बयान दिया था| यह तर्क दिया गया कि पीड़ित द्वारा दी गयी इस गवाही को उसके पहला मृत्युकालिक कथन के रूप में लिया जाना चाहिए| इस गवाह PW-6 राजेश की गवाही की बारीकी से जाँच करने के बाद, हम संतुष्ट है कि ज़िरह में उसके द्वारा दिए गए संस्करण को विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से खारिज़ कर दिया गया है|

26.1 ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस गवाह PW-6 ने मुख्य गवाही में कहा कि चींखें सुनने और धुंआ निकलता हुआ देखने पर, वह

घटनास्थल पर पहुंचा, बाज़ार से अन्य व्यक्ति भी मौके पर पहुंचे, उसने देखा कि एक आदमी आग में जल रहा था, पीड़ित के जलते हुए शरीर पर पास के नल से पानी लेकर फेंका गया था और पीड़ित ने खुद को शेर सिंह के तौर पर पहचाना था और यह कि बाज़ार में से किसी ने 100 नम्बर पर पुलिस को फ़ोन कर दिया जिसपर पुलिस मौके पर पहुंची| इस गवाह ने अपनी मुख्य गवाही में पीड़ित द्वारा किसी अन्य को आत्मदाह के बारे में बताए जाने के बारे में कुछ भी नही कहा और इसप्रकार, अभियोजन पक्ष के पास उसे प्रतिकूल घोषित करने का और उसके पिछले बयान के साथ उसका विरोध करने का कोई मौका नही था| इसके अलावा, हालांकि इस गवाह द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 की ओर से उसकी बहस में पीड़ित की कहानी के बारे में ज़ोर देते हुए यह दावा पेश किया गया था कि पीड़ित ने खुद को आग लगा ली थी, लेकिन ऐसे सुझाव के मूल्य और महत्व खुद इस गवाह द्वार अपीलार्थी संख्या 2 की ओर से जिरह में अपनी आगे की गवाही में प्रभावी रूप से ध्वस्त कर दिया था जहां उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि “पीड़ित शेर सिंह ने मेरी मौजूदगी में मौजूद लोगो को यह नही कहा था कि उसने खुद को आग लगा ली थी|” इस जिरह में, गवाह ने किसी टोनी को ऐसे बयान के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया| जाहिर है, पीड़ित द्वारा आत्मदाह के

बारे में PW-6 के बयान में होने वाले सुझाव परोक्ष सुनी-सुनाई बाते थी और किसी भी महत्व की नही थी|

26.2 इसी क्रम में, PW-6 द्वारा नामित अन्य व्यक्तियों की जिरह की आवश्यकता के बारे में अपीलार्थियों की और से किया गया दावा परास्त हो गया क्योंकि ऐसे नाम और उनकी भूमिकाएं सिर्फ PW-6 द्वारा उसकी जिरह में दिए गए बयान में पेश किए गए थे| दिए गए प्रसंग में, प्रत्यर्थी की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि, आत्मदाह के सिद्धांत और साथ ही अन्य व्यक्तियों के नाम, जो कथित तौर पर मौके पर पहुंचे थे, PW-6 की बहस के माध्यम से ही सामने आये थे, प्रभावशाली साक्ष्यों द्वारा इस सिद्धांत को स्थापित करने का भार अभियुक्त व्यक्तियों पर था| अभियुक्त-अपीलार्थियों की ओर से ऐसे किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए ऐसे किसी भी नामित व्यक्ति की जांच करने के लिए कोई प्रयास नही किया गया था|

26.3 जैसाकि देखा गया है, अपीलार्थी संख्या 1 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में यह सुझाव देने का प्रयत्न किया कि वह राजनीतिक रूप से एक जाना माना व्यक्ति था और उसके खिलाफ़ 'रुचि' रखने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा उसे झूठा फंसाया गया था| अभिलेख पर ऐसे किसी भी साक्ष्य को पेश नही किया गया कि वह

व्यक्ति कौन थे और क्यों वह उसे एक हत्या के मुकदमे में झूठा फंसाएंगे| इस प्रकार, अधूरी और अनिश्चित प्रतिरक्षा सिद्धांत को उचित ढंग से खारिज़ कर दिया गया और हमें उस संबंध में आक्षेपित निर्णयों में दर्ज़ निष्कर्षों का समर्थन करने में कोई संकोच नही है|

अन्य तर्क

27. हालांकि हम यह पाते है कि पीड़ित द्वारा दिए गए दर्ज़ दोनों बयानों और Ex PW-8/A और Ex PW-16/B पर उसके मृत्युकालिक कथनों के रूप में भरोसा किया जा सकता है और उससे अपराध में अपीलार्थियों की सहअपराधिता स्थापित होती है और हमने PW-6 की गवाही के संदर्भ में किए गए तर्को को भी खारिज़ कर दिया, फिर भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपीलार्थियों की ओर से किए गए अन्य तर्को की जांच किए जाने की जरूरत है|

27.1 यह तर्क किया गया कि अभियोजन पक्ष इस अपराध में हमलावरों की पहचान को स्थापित नही कर पाया है| Ex PW-8/A और Ex PW-16/B जैसे दो बयानों में पाए गए विवरणों की जांच और विश्लेषण किए जाने पर, जिसमे कम से कम एक हमलावर का व्यवसाय और फिर दोनों अपीलार्थियों के नाम व पतों का उल्लेख किया गया है, तो प्रस्तुतिकरण का कोई सार नहीं है| इसी कारण से, दूसरा तर्क कि घटना

एक भीड़-भाड़ वाले बाज़ार की जगह पर हुआ था और अन्य दावे कि अपीलार्थियों को किसी के भी द्वारा देखा भी नही गया था, महत्वहीन हो जाता है|

27.2 यह निवेदन कि अभियोजन पक्ष अपराध के उद्देश्य के स्थापित नही कर पाया भी निरर्थक है, क्योंकि सबसे पहले, मृत्यु के मामले में उद्देश्य अनिवार्य रूप से मृतक और अपराधी को ही मालूम होता है और एक अभियोजन का मामला सिर्फ उद्देश्य के अभाव में विफल नही हो सकता| इसके अलावा, मौजूदा मुकदमे में, मृतक के साथ अपीलार्थी संख्या 1 के पहले से चल रहे झगड़े के संकेत मृतक के भाई PW-1 राजू की गवाही में सामने आए है| यह भी देखा गया है कि मृतक और अभियुक्त व्यक्ति एक ही इलाके के निवासी थे|

27.3 यह दावा कि पुलिस नियंत्रण कक्ष का सिर्फ़ भाग 1 ही साबित होता है और अन्य भाग भी सही नही हैं| अभिलेखों से यह देखा गया है कि 12.08.,1998 को PW-7 सिपाही अंजू की जांच की गई थी जब उसकी गवाही से संबंधित अभिलेख मंगवाने के लिए स्थगित कर दिया गया था और फिर, उसकी आगे की गवाही 31.8.1998 को दर्ज़ की गई थी जब वह पुलिस नियंत्रण कक्ष का मूल प्रपत्र ले कर आई थी और उसकी प्रतिलिपि को Ex PW-7/B के रूप में अभिलेख पर ले लिया गया

था| हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पुलिस नियंत्रण कक्ष के फॉर्म के भाग II, III और IV प्रतिबिम्बित जानकारी पर भरोसा जताया है जो यह स्पष्ट दर्शाती है कि न केवल पीड़ित के आग लग जाने की प्रारंभिक जानकारी दर्ज़ थी बल्कि पीड़ित को अस्पताल ले जाने के दौरान व दाखिले तक की आगे की जानकारी समय-समय पर दर्ज़ की गई थी जहां न सिर्फ़ उसके पते का उल्लेख किया गया बल्कि हमलावरों के नाम भी सामने आए| यह दस्तावेज़ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसकी प्रतिलिपि अभिलेख पर ले ली गई, PW-7 द्वारा इसे सिद्ध किए जाने के साथ, इसे खारिज करना उचित नही होगा|

27.4 तर्क का एक मजबूत भाग PW-18 अतिरिक्त उप-निरीक्षक हरीश के बयान के संदर्भ में किया गया था जिसने इस बात पर ज़ोर दिया था कि पीड़ित पुलिस नियंत्रण कक्ष की गाड़ी में अस्पताल ले जाते वक़्त और यहा तक कि अस्पताल में भी, उससे कुछ नही बोला और दर्द में सिर्फ रो रहा था| उच्च न्यायालय ने इस गवाह PW-18 के बारे में तीखी टिप्पणी की है| कुछ टिप्पणियां न्यायसंगत प्रतीत होती है, विशेषकर जब PW-18 ने यह कहने का प्रयास किया कि उसे पीड़ित का नाम का अस्पताल में वहां मौजूद लोगों से पता चला| ऐसे किसी भी व्यक्ति को अन्यथा अभिलेख पर नही दिखाया गया था और PW-8 डॉक्टर सुषमा

की गवाही से, यह स्थापित है कि पीड़ित द्वारा खुद उजागर की गई जानकारी के आधार पर ही उसने ही चिकित्सीय-विधिक विवरण में ब्यौरों का उल्लेख किया था| उसे ही अच्छे से मालूम कारणों के लिए, PW-18, जो पीड़ित को अस्पताल ले कर गया था, ने यह कहने का प्रयास किया कि पीड़ित बोलने की हालत में नही था और फलस्वरूप, लाने-ले जाने की प्रक्रिया के दौरान पीड़ित द्वारा जो भी जानकारी दी गई थी, उसे अस्वीकार करने का प्रयास किया| हालांकि इस पहलू को अभिलेख पर स्थापित अन्य तथ्यों के लिए और विस्तार देने की आवश्यकता नही है, इस तथ्य सहित कि पीड़ित अस्पताल में दाख़िले के समय सचेत और उन्मुख था और उसने यह गवाहियाँ स्वस्थ मानसिक स्थिति में दी थी|

27.5 अपीलार्थियों की ओर से मौजूदा मुकदमें को धारा 304 के भाग 2 के तहत हत्या नही बल्कि गैर-इरादतन हत्या के अपराध के तहत बदलने की लिए किए गए अन्य दावे को केवल खारिज़ करने के लिए नोट किया गया| एक व्यक्ति के ऊपर मिट्टी का तेल डालने का कृत्य और फिर माचिस जला कर उसे आग लगा देने में वह सभी सामग्रियां है जो एक व्यक्ति की भयानक तरीके से मौत के कारण के लिए किए गए कृत्य के इरादे के लिए होती है| हत्या के अपराध के लिए अपीलार्थियों की सज़ा न्यायसंगत प्रतीत होती है और हमें इसको किसी कमतर दर्ज़े के अपराध

में बदलने का कोई कारण नही मिलता है| इसलिए, अपीलार्थियों की तरफ से शरद बिरदी चंद सरदा और कलाबाई (उपरोक्त)में संदर्भित फैसलों के साथ किए गए निवेदन भी खारिज होने योग्य है और खारिज़ किए जाते है|

27.6 अपीलार्थी संख्या 1 की ओर से किया गया अन्य सुझाव कि किसी भी मुकदमे में, उसे मिट्टी का तेल डालने या आग लगाने की भूमिका नही सौंपी गई है, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के लिए भी अस्वीकार किए जाने योग्य है, विशेषकर तब जब अभिलेख पर यह पेश किया गया हो कि वह अपीलार्थी संख्या 2 के साथ था जब पीड़ित को धमकाया गया था और आग लगा दी गई थी| इस अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत सज़ा निरपवाद है| यहां ऊपर जिस बात पर ध्यान दिया गया है कि अपीलार्थी संख्या 1 की मृतक के सिर पर मिट्टी का तेल फेंकने की कोई संभावना न होने के सुझाव को बिना किसी विस्तार के खारिज़ कर दिया जाना चाहिए|

निर्णय

28. यहां ऊपर जिस बात पर विचार किया गया, हमारी स्पष्ट राय है कि अपीलार्थियों को स्पष्ट रूप से शेर सिंह की आग लगा कर मार डालने का दोषी माना गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के

तहत भी अपराध के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया गया है| हस्तक्षेप का कोई मामला नही बनता है|

29. फलस्वरूप, और ऊपरोक्त के मद्देनजर, यह अपीलें विफल होती है और, इसलिए, खारिज़ की जाती है|

.....न्या.

(ए. के. खानविलकर)

.....न्या.

(दिनेश महेश्वरी)

नई दिल्ली

दिनाँक: 7 जनवरी, 2020

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*